



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1995 (आषाढ़ 24, 1917)  
[No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1995 (ASADHA 24, 1917)

|| इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[संविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, रिज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक  
ग्रामीण आवासना और ऋण विभाग

केंद्रीय कार्यालय

बम्बई-400023, दिनांक 26 जून 1995

गा. आ. ऋ. वि. सं० 1468/07.33.01-94/95—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा पाण्डिचेरी राज्य को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को दिनांक 20 जुलाई 1995 से उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का निर्देश देता है।

आर वी० गुप्ता,  
उप गवर्नर

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

बम्बई-400023, दिनांक 13 मई 1995

सं० औ० नि० ऋ० वि० 10/08.15.01/94-95—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 द द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली

सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से सन्तुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एचए-द्वारा निर्देश जारी करता है कि "गैर-बैंकिंग कम्पनी (व्यापारिक पत्र के माध्यम से जमाराशियों का स्वीकरण) निर्देशावली, 1989 (यथा संशोधित) को इस अधिसूचना की तारीख से निम्नानुसार संशोधित किया जाए यथा :

1. पैराग्राफ 3 में वर्तमान उप पैरा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए :

(घ) "कार्यशील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमा के नकदी ऋण घटक" से अभिप्रेत होंगी—एक अथवा अधिक बैंकिंग कम्पनियों द्वारा नकदी ऋण सीमाओं के रूप में स्वीकृत समग्र निधि-आधारित सीमाएं जिनमें अधिकतम अनुमत बैंक वित्त पर आधारित कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिलों की खरीद/भुनाई के जरिए प्राप्त सीमाएं शामिल होंगी परन्तु इनमें साख-पत्रों/गारंटियों जैसी रूढ़िवाएं शामिल नहीं होंगी जिनमें न तो निधियों का वास्तविक विनियोग (आउटले) हो और न ही कार्यशील पूंजी प्रयोजनों अथवा परि-

योजना वित्तपोषण संबंधी स्थायी आस्तियाँ/विस्तारों के अभिग्रहण हेतु ऋण रूप में स्वीकृत ऋण सीमा हो।

3. पैराग्राफ 4 (2), 7 और 11 (5) में "कार्यशील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमा" के स्थान पर "कार्यशील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमा का नकदी ऋण घटक" शब्द रखे जाएंगे।

आई० टी० बाज  
कार्यपालक निदेशक

- (9) 19-9-92  
(10) 17-8-93  
(11) 9-10-93  
(12) 9-4-94  
(13) 18-2-95  
(14) 25-2-95

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय

कलकत्ता-700001, दिनांक 15 जून 1995

सं० एफ० ३०/लीगल/0279—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृत से इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

- (1) इन विनियमों का नाम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1995 है।
- (2) ये विनियम अपने प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
- (3) मौजूदा विनियम सं० 49 (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :

मौजूदा उपबंध का पाठ

संशोधित उपबंध का पाठ

"49(2) पदग्रहण काल के दौरान, अधिकारी पुराने या नए स्थान पर की परिवर्धियों, इन्हें से जो भी काम हों, प्राप्त करने का पत्र होगा।"

"पदग्रहण काल के दौरान, अधिकारी स्थानांतरण के स्थान पर लागू होने वाली परिवर्धियाँ प्राप्त करने का पत्र होगा।"

एल० क० तिवारी  
मुख्य प्रबन्धक (विधि)

इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में संशोधन से संबंधित पिछली अधिसूचनाओं जो भारत के राजपत्र के भाग 3 खण्ड 4 में निम्नलिखित तिथियों को प्रकाशित हुईं :—

- (1) 12-9-87
- (2) 31-10-87
- (3) 21-11-87
- (4) 28-11-87
- (5) 12-12-87
- (6) 29-10-88
- (7) 21-7-90
- (8) 28-7-90

दिनांक 16 जून 1995

सं० प्रका/विधि/0285—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व संस्वीकृत से इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवा विनियम के पश्चात प्राइवेट सेक्टर समुत्थानों में नौकरी स्वीकार करना (विनियम 1980) आगे इसे मूल विनियम कहा गया है) में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् —

1. (1) ये विनियम इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी सेवा विनियम के पश्चात प्राइवेट सेक्टर समुत्थानों में नौकरी स्वीकार करना (संशोधन) विनियम कहा जा सकेंगे।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 4 को उसके उप विनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस तरह पुनः संख्यांकित किए गए उप विनियम (1) और उसके परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित उप विनियम अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :

"(2) जहां किसी अधिकारी कर्मचारी ने उप विनियम (1) के अन्तर्गत बोर्ड अथवा, यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी को पूर्व संस्वीकृत हेतु आवेदन किया है, वहां बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी को प्राइवेट समुत्थानों में रोजगार की अनुमति देंगे या कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देते हुए ऐसी अनुमति देने से इनकार कर देंगे।

परन्तु यह कि, जहां बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने के तत्पश्चात् दिनों के अन्दर आवेदक को अनुमति अथवा अस्वीकृति की सूचना नहीं देता तो यह समझा जाएगा कि बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी ने कर्मचारी को प्राइवेट समुत्थानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति दे दी है।

परन्तु यह और भी कि जहां बोर्ड अथवा सक्षम प्राधिकारी ने कर्मचारी से और जानकारी अथवा स्पष्टीकरण मांगा हो, तो अपेक्षित सूचना अथवा स्पष्टीकरण भेजने में कर्मचारी द्वारा किए गए समय के तत्पश्चात् दिनों की उक्त अधि की गणना के प्रयोजन हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।"

एल० क० तिवारी  
मुख्य प्रबन्धक (विधि)

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 8 मई 1995

सं० 3-एन० सी० ए० (4)/2/94-95--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उप-धारा (1) (ग) द्वारा प्रबल अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सवस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सवस्यों का नाम अपने सवस्यता रजिस्टर में से निर्धारित शुल्क न जमा कराने के कारण उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है।

क्रम सं०	सवस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	13555	श्री लक्ष्मी नारायण सरस्वामा 28, लाल कूआं, दिल्ली-110006	1-10-93
2.	14859	श्री सुरेश चितकारा, ए-1/8, माइल टाउन दिल्ली-110009	1-10-93
3.	17330	श्री राजिन्दर कुमार, डायरेक्टर ओस्वाल एग्री मिल्स लि० शरपुर जी० टी० रोड, दुधियाना-141003	1-10-93
4.	17650	श्री सुभाष चन्दा जे-29, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली-110024	1-10-91
5.	80814	श्री कृष्णत कुमार बंधवार, केयरआफ आर० के० वाघवन एस-163, गेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048	1-10-93
6.	85011	श्री नरेश चन्दा गुप्ता, 575, डी० एल० एफ० कालोनी रोहतक-124001	1-10-93

ए० के० मजूमदार,  
सचिव

दिनांक 12 जून, 1995

सं० 3-एन० सी० ए० (5)/4/94-95--इस संस्थान की अधिसूचना नं० 4-सी० ए० (1)/15/70-71 दिनांक 30-11-70, 3-एन० सी० ए० (4)/3/91-92 दिनांक 14-2-92, 3-एन० सी० ए० (4)/4/92-93 दिनांक 11-1-93, 3-एन० सी० ए० (4)/2/90-91 दिनांक 12-11-90, 3-एन० सी० ए० (4)/2/93-94 दिनांक 7-3-94, 4-सी० ए० (1)/20/77-78 दिनांक 13-2-78, 3-ई० सी० ए० (4)/5/89-90 दिनांक 23-10-89, 3-एन० सी० ए० (4)/9/85-86 दिनांक 31-3-86, 3-सी० सी० ए० (4)/7/90-91 दिनांक 30-11-90, 3-एन० सी० ए० (4)/3/93-94 दिनांक 31-12-93, 3-ई० सी० ए० (4)/1/93-94 दिनांक 1-2-94, 3-सी० सी० ए० (4)/6/91-92 दिनांक 26-12-91, 3-एन० सी० ए० (4)/3/89-90 दिनांक 9-11-89, 3-एन० सी० ए० (4)/8/92-93 दिनांक 23-3-93, 3-एन० सी० ए० (4)/2/88-89

दिनांक 8-2-89, 3-एन० सी० ए० (4)/10/83-84 दिनांक 31-3-84, 3-एन० सी० ए० (4)/3/89-90 दिनांक 9-11-89, 3-एन० सी० ए० (4)/6/91-92 दिनांक 11-3-92, 3-एन० सी० ए० (4)/7/92-93 दिनांक 26-2-93, 3-एन० सी० ए० (4)/5/92-93 दिनांक 29-1-93, 3-एन० सी० ए० (4)/5/92-93 दिनांक 29-1-93 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रबल अधिकारों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सवस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सवस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्रम सं०	सवस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	6961	श्री विक्टर अनेजेंडर ए० सी० ए० जी-69, मस्जिद मोठ, गेटर कैलाश-3, नई दिल्ली-110048	2-3-95
2.	10154	श्री हरजीत सिंह गुगल एफ० सी० ए० पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 21 राजेशवाग्घेस, नई दिल्ली-110008	3-1-95
3.	11375	श्री स्वतंत्रता विजय जैन, एफ० सी० ए० 3507, लीट जेड डा० किंग बुड, टो एफ-77339, सू० एल० एल०	16-1-95
4.	10779	श्री आसित कुमार बरकार, ए० सी० एल० लाइव इंडिया लि०, दुधियाकान (आसाम)	21-3-95
5.	11788	श्री पी० आर० श्रीनिवासन, ए० सी० ए० सी-16 2 फ्लोर सतनाम हाउस, 19 माहर रोड पासो बाड़ा अंधरी (ई) बम्बई-400099	27-1-95
6.	12638	श्री आत्मा प्रकाश गोयल, एफ० सी० ए० 18, गगन विहार बिल्डर, दिल्ली-110051	9-12-94
7.	14186	श्री आनन्द मोहन मेहरा ए० सी० ए० केयर आफ मैसर्स ए० एम० मेहरा एण्ड कं० डी-4 बिराम एक्लेब अपोजिट नेहरूप्लेस नई दिल्ली	22-2-95
8.	15295	श्री सुधीर रंगनेकर एफ सी० ए० जे० के० सिपेटिक्स लि० अम्बादीप बिल्डिंग 8 फ्लोर 1 के जी मार्ग, नई दिल्ली-1	1-11-94
9.	15788	श्री अशोक कुमार गुप्ता, ए० सी० ए०, डी-116, सैक्टर 55 नोएडा-201301	2-2-95

1	2	3	4	1	2	3	4
10.	16700	श्री विनय कुमार गुप्ता, ए० सी० ए० 1003, इन्द्र प्रकाश बाराब्रम्हा रोड, नई दिल्ली-110001	8-3-95	21.	80726	श्री राजेश कुमार नकरी, एफ० सी० ए०, एस-95, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048	28-2-95
11.	20258	श्री एम० रामाचन्द्रन, ए० सी० ए० एफ-1/11-डी, एम० आई० जी० फ्लैट्स, हरी नगर, नई दिल्ली-110064	28-3-95	22.	81070	श्री विनोद कुमार बेघोला, एफ० सी० ए, बी-17, बदरपुर बाईन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110044	20-3-95
12.	21041	श्री जगदीश चन्द्रा जोशी, एफ सी०ए० केयर आफ जे० डी० पांहे 39, केशव रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून-248001	22-3-95	23.	81151	श्री धिरेन्द्र कुमार, एफ० सी० ए, हाउस नं० 586, सेक्टर-12, पंचकुला-134109	21-11-94
13.	23335	श्री राजीव बहल, ए० सी० ए० डिप्टी मैनेजर (एफ एण्ड ए) इंस्ट्रुमेंटेशन लि०, 7 फ्लोर, फोर-6, स्कोप काम्प्लैक्स, सोदी प्लेस नई दिल्ली-110003	13-2-95	24.	81184	श्री विनोद कुमार बाउन्त्रा, एफ० सी० ए, एफ० नं० 140, सेक्टर 9, फरीदाबाद	13-12-94
14.	31675	श्री शशि भूषण शुक्ला, ए० सी० ए० 562, कैलाश टावर-3, ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली-110065	28-12-94	25.	81252	श्री राजीव शामजाव, ए० सी० ए, के० ब्लाक, चौधरी बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001	20-1-95
15.	35780	श्री खमरु बोमी फोलाबाबा, ए० सी० ए० वेक्म नेशनल डी पेरिस, 8 मालपा, 15, बाराब्रम्हा रोड, नई दिल्ली-110001	17-2-95	26.	81346	श्री अनिल कुमार जैन, एफ० सी० ए, 39-बी, अहिमा बिहार, 27/1, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली-110085	30-12-94
16.	53559	श्री प्रदीप कुमार गरोडिया, एफ० सी० ए, हरी प्रीत अपार्टमेंट्स, 2 फ्लोर, 33/बी, धानन्द नगर, सोमायटी, बी० पी० सी० रोड, बडोदरा-390005	1-10-93	27.	81559	श्री मन प्रकाश गुप्ता, ए० सी० ए, 8, जी०-29, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085	13-3-95
17.	70659	श्री संदीप चौधरी, ए० सी० ए, केयर आफ सेगलेक इण्डिया लि०, सूजी-23, देविका टावर्स, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	31-1-95	28.	81774	श्री राकेश चन्द्रा, एफ० सी० ए, सेक्टर नं० 201, चौधरी काम्प्लैक्स, 9, मधुवन, रोड, विकास मार्ग, दिल्ली-110092	31-1-95
18.	70701	श्री अशोक हल्दिया, ए० सी० ए०, 57/3, ओल्ड राजिन्दर नगर, 3 फ्लोर, नई दिल्ली-110060	9-1-95	29.	82189	श्री सतीश कुमार, ए० सी० ए० 1214, सेक्टर 22-बी, चण्डीगढ़।	10-3-95
19.	7117	श्री महेंद्रा पाल सिंह, ए० सी० ए, 57, ग्रीन फील्ड, माबल टाउन, मुधियाना-160059	15-2-95	30.	82205	श्री सुषमा मासीन वाली, ए० सी० ए०, बिलाहट टच ताहुमासु इन्टरनेशनल, 1633, घोडे, न्यूयॉर्क एन० आई 10019 न्यू एन० ए,	24-1-95
20.	80693	श्री हरजीत सिंह, एफ० सी० ए, मास्टर ट्रस्ट लि०, एस० सी० ओ० 19, फिरोज गांधी मार्केट, मुधियाना-141001	30-11-94	31.	82265	श्री अनिल मेहरा, ए० सी० ए, केयर आफ केयर फ्लैट, 13, 2 फ्लोर, फंड, ब्लाक, सागर अपार्टमेंट्स, 6, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001	28-11-94
				32.	82527	श्री आदर्श शर्मा, एफ० सी० ए, 10, फिरोज गांधी रोड, लाजपत नगर 2, नई दिल्ली-110024	20-12-94

1	2	3	4	1	2	3	4
33.	82914	श्री राजन कपूर, एफ० सी० ए, 334, नवम्बर जेता टावर-1, प्लॉट नं० 18, काम्युनिटी सेक्टर, वजीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052	20-1-95	45.	85227	श्री एन० पी० मुखर्जी, ए० सी० ए, इ केयर आक श्री टी० बगद, 10, रिंग रोड, लाजपतनगर 4, नई दिल्ली-110024	13-2-95
34.	82991	श्री सुधीर कुमार शर्मा, एफ० सी० ए, 2980/1, रणजीत नगर, नई दिल्ली-110008	4-1-95	46.	85969	श्री दिनेश मूर, ए० सी० ए, डी-3/64, मकररजंग एनक्लेव, नई दिल्ली-110029	1-2-95
35.	83028	श्री विजय सिंह मलिक, एफ० सी० ए, 10-बी, नेताजी सुभाषमार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002	30 12 94	47.	88170	श्री राकेश गर्ग, ए० सी० ए, एच० नं० 1152, सेक्टर 18 सी, बण्डीगढ़-160018	15-3-95
36.	83130	श्री गिरीश कुमार अग्रवाल, एफ० सी० ए०, 9316, गीथाला रोड, किशन गंज, दिल्ली-110006	31-1-95	48.	87272	श्री गुलशन कुमार, ए० सी० ए०, 301 भोंकार दीप, ए-19, मिडल मकिल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001	7-2-95
37.	83249	श्री दिनेश कुमार शोयल, एफ० सी० ए, डी-105, गली नं० 5, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	30-11-94	49.	88114	श्री राजीव अग्रवाल ए० सी० ए० 4800 राम बाजार क्लोथ मार्किट दिल्ली-110006	25-1-95
38.	83950	अनिल पास डिंग, ए० सी० ए, जे-134, प्रार० श्री० आई एनक्लेव, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली-110063	17-1-95	50.	88574	श्री राजीव चौपड़ा ए० सी० ए० बी-11 डबल स्टीगी रमेश नगर नई दिल्ली-110015	14-2-95
39.	84033	श्री शता नन्द शर्मा, ए० सी० ए, 24, बसदेज पार्क, दिल्ली-110051	6-2-95	51.	88784	श्री अमनजीत सिंह ए० सी० ए एच नं० 3067 सेक्टर 37-डी बण्डीगढ़	1-2-95
40.	84623	श्री राजिन्दर सिंह शर्मा, ए० सी० ए, के जी० 1/427, बिकासपुरी, नई दिल्ली-110018	6-2-95	52.	88867	श्री अनुराग शाह ए० सी० ए० बी-134 प्रीत विहार दिल्ली-110092	31-1-95
41.	84680	श्री ध्यानन्द प्रकाश शर्मा, ए० सी० ए, ए-189, मोती बाग-1, नई दिल्ली-110021	30-12-94	53.	90025	मिसिज गोता माथुर ए० सी० ए० केयर आक आई सी आई सी आई टावर 2 जीवन भारतीय बिल्डिंग 124 कनाट सर्कस नई दिल्ली-110001	11-1-95
42.	84689	श्री आशीष कृष्णन त्रिपाल, ए० सी० ए, 412 ए, पार्कट-2, मयूर बिहार, दिल्ली-110091	20-12-94	54.	90938	श्री संदीप पाहुवा ए० सी० ए 4/73 पंजाबी बाग नई दिल्ली-110026	12-1-95
43.	84806	श्री शीलेखा माण गुस्ता, एफ० सी० ए, जे-12, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005	10-2-95	ए० के० मजूमदार सचिव			
44.	84821	श्री अनिल बंसल, ए० सी० ए, 15-ए, कमला नगर, दिल्ली-110007	19-1-95	बम्बई-400005, दिनांक 3 मई 1995			

सं० 3 इन्क्यू० सी० ए० (4) 10/94-95—चार्टर्ड प्राप्त संसा-  
कार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा  
यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त संसाकार अधिनियम  
1949 की धारा 20 की उपधारा 1 (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों  
का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त संसाकार संस्थान परि-  
षद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से सदस्यता शुल्क न भरने के

कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम 5 दिसम्बर 94, से हटा दिए गये हैं ।

क्र० सं० सदस्यता संख्या नाम एवं पता

1	2	3
10	015418	श्री पांडया जयोतिन्द्र जनकराज, 307-66, पार्कबुडस, विलेज शार्प, डॉनमिस्स, ऑन्टेरिओ, कनेडा एम 3 ए2 एक्स 6 ।
11	015815	श्री झबेरी द्वियाकंत रमणिकलाल, 103, पुनम अपार्टमेंट्स, आर० सी० इत्त रोड, अलकापुर, बडौदा-390005 ।
12	016320	श्री बुजवाला विनोद नवरोजी, 4840, गाल्फ विव कर्ट, चारलॉट, एम० सी०-028212 ।
13	017838	श्री वारा अनवरहुसैन अब्दुलकादर, वाराबाड, वारा मस्जिद के पास, जि० जूनागढ़, मंगोल 362225 ।
14	020820	श्री रवीशंकर अल्लादी, 31, मंगलया, 93, बालगोविन्ददास रोड, माहीम, बम्बई-400016 ।
15	021638	श्री राजागोपाल, 14, 1ला मजला, योगीसबाकी, 100 फुट रोड, आनन्द-388001 ।
16	021851	क० छीतकला जी०, दारा : श्रीमती सी० महावंदन, ए/2/आई/31, नावार्ड पार्क, खीरा साका, एस० वी० रोड, सांताक्रुज (प) बम्बई-400054 ।
17	021930	श्री मुधुकुमार डी०, एसिस्टेंट मैनजर, सिड्डीकहेड बैंक, फ्लैट 105, सोनम रामबाग कालोनी, "ओ" लेन, कल्याण-421304 ।
18	022093	क० सरस्वतराय हरिहरन, फ्लैट नं० 4, थापन हाऊस टेंपल, सिविल लेन, नागपुर-440001 ।
19	023692	क० स्मृती रेखा जयकर, भारत हवी इलेक्ट्रीकल्स लि०, इलेक्ट्रीकल मशीन रिपेयर प्लान, लॉट नं० डी-1, क्रॉस रोड, एम० आई० डी० सी०, अंधेरी, बम्बई-93 ।
1.	000753	श्री कंगा दारा नुसेरवानजी, सी० सी० आई० बॉक्स नं० 43, दीनशा बाछा रोड, बम्बई-400020 ।
2.	004158	श्री संठ राजाबाबु अम्बालाल, मार्फत : मसैर्स जे० के० वी० एण्ड कं०, खेतान भवन, 10, जे० टाटा रोड, बम्बई-400020 ।
3.	011689	श्री त्रिवेदी शशिकान्त पुनमचन्द, एस० पी० त्रिवेदी एण्ड कं०, 1327 जादा भगत्स पोल, छीपा पोल वरीआपुर, अहमदाबाद-380001 ।
4.	012033	श्री झबेरी समरण उमैभी, ए/65, सिलवर अपार्टमेंट्स, 6वां मजला, शंकर चनेकर मार्ग, प्रभादेवी रोड, दादर, बम्बई-400028 ।
5.	012086	श्री सुबाली नलीन शिवाजी, एम० एस० सुबाली एण्ड कं०, जैसआ हाऊस, 2रा मजला, 137, मोवी स्ट्रीट, बम्बई-400001 ।
6.	012572	श्री बंडाले लीलाधर गोविन्द, गीता अपार्टमेंट्स, अशाक नगर, 48, दासार कालोनी, भांडूप (ए) बम्बई-400042 ।
7.	013548	श्री सलगर शरद नागेश, टॉवर अल्युमिनियम (नाइजीरिया), बी० ए० 3, स्लोसम मिलिटरी रोड, अक्रम एबेन्यू, पी० ओ० बाक्स-9, इकैजा सागांस, नाइजीरिया ।
8.	013777	श्री शम्भू ह्यूसैन, मार्फत : अलाइड एकाउन्टेंट्स, पी० ओ० बाक्स 18366, रीयाद-11415 (सऊदी अरबीआ) ।
9.	015045	श्री कंटक भाईलाल कान्तिराल, ए-6, सहयोग, आर० बी० आई० सांसायटी, एक्सर रोड, बोरीवली (प) बम्बई-400092 ।

1	2	3	1	2	3
20	023794	श्री गांधी आंम प्रकाश, सोमा टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रियल लि०, राखयाल रोड, अहमदाबाद-380023 ।	30	028234	श्री कलना कुमार एस० एन० एस० कै०, गैस अधारिटी आफ इंडिया लि०, दर्पन बिर्लिंग, आर० सी० दत्त रोड, बड़ौदा ।
21	024708	श्री प्रेहरीक ए० इक्व्यू० रूम नं० 106, वाई० एम० सी० ए०, सेंट्रल ब्रांच, 122, एन० पारेल मार्ग, बम्बई-400039 ।	31	028608	श्री अन्टो एम० पी०, सी-42, मीहन्ना एण्ड मीहन्ना, हार्जिसग सांसायटी, श्री कृष्णा नगर, बोरीवली (पू), बम्बई-400066 ।
22	024812	श्री लक्ष्मीनारायणन एस०, द्वारा : श्री सुनजू झवेरी, 171 इण्टरप्रार्जिसेस, फ्लैजेट हील, बम्बई-400036 ।	32	029148	श्री अनन्त शंभाय, सिटी बैंक, एन० ए० शंकर भवन, 1ला मजला, मरीमन पाइन्ट, 230 बंकरं रिक्लेमेशन, बम्बई-400021 ।
23	025519	श्री परथसराधी वी०, 13 नयनद्वीप सांसायटी-2, नवयुग कालंज कं पीछे, सूरत-395009 ।	33	029358	श्री श्रीधरन आर०, फ्लैट नं० 404, जैमिनी बिर्लिंग, ए/विंग, लोवर खरोडी, माव रोड, मालाड (प), बम्बई-400049 ।
24	025829	श्री कुमार वाई०, 305, सरस्वती क्व-आप० जं० वी०, नगर, अंधेरी (पूर्व) बम्बई-400055 ।	34	030824	श्री नारायणन कै० एल०, सी-42, पांडुरंग, ए० वी० अनन्त नावर रोड, जुहू, बम्बई-400049 ।
25	026147	श्री रमेश एस०, 402-डी, सनम शांताराम, गरोडिया नगर, घाटकोपर, बम्बई-400077 ।	35	031181	श्री शोभान टी० पारीख, फ्लैट नं० 106, अशोका अपार्टमेंट्स, रुग्ठा लैन, 68, नेपनसी रोड, बम्बई-400026 ।
26	026348	श्री बंकारामानन ए०, फ्लैट नं० 1, गुरुकृष्ण अपार्टमेंट, एन० सी० क्लेक रोड, वावर (प) बम्बई-400028 ।	36	031793	श्री राव अदीथम प्रकाश, फ्लैट नं० 11, नोहीत पार्क, सुल्लानगर, पुणे-411040 ।
27	026396	श्री नंदावली गुरुनाथ शंकर, बी/26, वातानी पार्क क्व-आप० हार्जिसग सांसायटी, वेस्टर्न एक्सप्रेस, हाइवे, बोरोवली (पू), बम्बई-400066 ।	37	032837	श्री संघवी कमलाश रमनीकलाल, कं० आर० संघवी एण्ड कं०, फाइन मंशान, 2रा मजला, 203, डी० एन० रोड, फोर्ट, बम्बई-400001 ।
28	026739	श्री श्रीकान्त जी०, सीनियर एक्जीक्यूटिव क्रेडेंपो, क्रेडेंपो हाउस, कम्पाल, गोवा-400001 ।	38	032971	श्री शेट्टी रमेश मुक्दू, 20/4, तारद्वे ए० सी० मार्केट, तारद्वे, बम्बई-400034 ।
29	027562	श्री बालासुब्रामनीयन, सीनियर ऑफिसर एकाउंट, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि०, नं० 83, मुवी टावर्स, लोखंडवाला काम्प्लेक्स, कं पीछे, यमुना नगर, अंधेरी (प), बम्बई-400058 ।	39	033418	श्री शाह अनिल डी० एम०, पो० बाक्स नं० 11092 नैरोबी, केन्या ।

1	2	3	1	2	3
40	038408	क० बर्मा अनुराधा, अनुराधा एण्ड एसोसिएट्स, सुख सागर, 12 बंसमेट, हुज्रेस रोड, बम्बई-400007 ।	50	070111	श्री ज्योति प्रकाश, 3 सी/101, दामोदर पार्क, एल० बी० एस० मार्ग, घाटकोपर (प) बम्बई-400086 ।
41	039996	श्री कृष्ण रामचन्द्रन, बी० शंकर आयर एण्ड कं०, 2-सी कोर्ट चेंबर्स, 35 न्यू मरैनी लाइन्स, बम्बई-400020 ।	51	026502	श्री श्रीराम चन्द्र, 12 एन विलचारा 8, महर्षि कर्वे रोड, कुपरंज, बम्बई-400021 ।
42	040368	श्री पोरवाल हिमान्यु जीतमल, 20/79 यशवन्त नगर, गोरगांव (पश्चिम) । बम्बई-400062 ।	52	032467	श्री तलेकर विजय राजाराम, सी-16/5, जीवन बीमा नगर, तरुवान शांभा सांसायटी, बोरीवली (पश्चिम), बम्बई-400092 ।
43	042341	श्री सालेटोर किशोर मुकुंद, 13/7, सरस्वत कालोनी, सांताक्रुज (प), बम्बई-400034 ।	53	037867	श्री अलमोहिआ धामस लारेंस नवधर, पोस्ट आफिस के सामने, वसई रोड, थाने-401202 ।
44	044319	श्री यजदी केकी खोपोलीवाला, वार्ड० के खोपोलीवाला एण्ड कं०, मंचर मंजिल, "बी" ब्लॉक, 1ला मजला, 35/सी जयराजभाई लेन, बम्बई-400008 ।	54	039169	श्री नवाब मोहम्मद इाहेद अबुबकर, सुरुम ए/4, किस्मत कालोनी, अजबा रोड, बरोडा-390019 ।
45	045936	श्री जांशी वसन्त बलवन्त, अनाघा, फ्लैट नं० 3, अलकापुरी, सांसायटी, कांठरुड, पुणे-411029 ।	55	040751	श्री जैन पारस छोटालाल, बी/7, करमयोगा पीपरमेंट कम्पाउंड, एल० बी० एस० मार्ग, भांडूप, बम्बई-400078 ।
46	045949	श्री गोयल दयाकृष्णा, 402-सी 3, सेक्टर 4, शान्ती नगर, जि० ठाणे, मीरा रोड 401109 ।	56	042971	श्री महता जितेंद्र नवीनचन्द्र, बी-1, सागर स्वप्न नगर, माहल टाउन के पास, मुलुड (पश्चिम), बम्बई-400080 ।
47	046176	श्री कपाडिआ खोजेमा अक्षरअली, 1/16-ए, वारां कालोनी, एम० जी० रोड, कांतिवली (प), बम्बई-400067 ।	57	043111	श्री राजगोपालन टी०, फ्लैट नं० 41, बि० नं० 67 ए, वृन्दावन, थाने (पश्चिम) ।
48	047199	श्री कुडव कमलेश विनायक, ए/3, चौकसी बिर्लिडग, सामवेवी रोड, बम्बई-7 ।	58	043125	श्री मूर्ति पोनुरी प्रभात, 8, भिनाक्षी स्वास्तीक पार्क, चेम्बूर, बम्बई-400071 ।
49	047200	श्री सोमानी प्रशान्त, डी 3-74 ग्रीन फील्डस, महाकाली कंबस रोड, अंधेरी (प) बम्बई-400093 ।	59	045065	क० रीता भारत शाह, 11/169, सरदार नगर नं० 4 सायन केलीवाडा, बम्बई-400037 ।
			60	045494	श्री सातारा हरीशकुमार दामजी, जी/2, द्वारकानाथ कं-आप० हाजर्सग सांसायटी, जि० थाना डोंबिवली-421201 ।



1	2	3	1	2	3	4
61	046360	श्री जैन स्नानल, डी-2/ द्वीप शिखार सोसायटी, गुन्दर नगर, मालाड (प), बम्बई-400064।	4	035437	श्री रामनाथ बी० चांदभाई एंड जगुभाई कामनवाना चेंबर्स सर पी एम रोड फोर्ट बम्बई-400001	16-1-95
62	047056	श्री कावली राजेश हीरालाल, हाउस नं० 129, सदर् बाजार, दौधलाही, जि० भासिक-422401।	5	039152	श्री आपटे राजेंद्र चंद्रशेखर, इम्बार्गी 403 बाघु बासवानी नगर, आंध्र पुणे-411007	13-8-94
63	047874	श्री भलानी नवनीतकुमार बल्लभदास, शेठ बी० एम० कपोल होस्टल, खुशालदास पारख मार्ग, माद्रीगा (सी० आर०) बम्बई-400019।	कलकत्ता-700071, दिनांक 5 मई, 1995 (चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स) सं० 3-ई० सी० ए० (8) 5/94-95--रेगुलेशन 10 (1) की धारा (4) जिसे चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगुलेशन 1988 के अधिनियम 10 (2) बी० के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों का कार्य करने का प्रमाणपत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य करने का प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क का भुगतान नहीं किया था।			
64	031386	श्री एम व्ही रामनारायण, 56, अपोलो इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली क्लबज रस्ता के सामने, अंधेरी (पूर्व) बम्बई-400083।	क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
ए० के० मजूमदार, सचिव  दिनांक 4 मई 1995			1	51371	श्री सेनगुप्ता अनिरुधा, ए० सी० ए०, 10, नगेन्द्रा नारायण धस्ता रोड, प्लैट नं० 2, ब्लाक नं० 4, कलकत्ता-700040	1-10-93
ए० के० मजूमदार, सचिव  दिनांक 27 मई, 1995			2.	87217	श्री मुरली कल्याणारमन, ए० सी० ए०, प्लैट नं० 403 काशीमती अपार्टमेंट्स, 24/4, अलीपुर रोड, कलकत्ता-700027	1-10-93
सं० 3-ई० सी० ए० (4) 11/94-95--चाटर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चाटर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा 1 (अ) द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चाटर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मुख्य हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।			क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	000124	श्री मानकेश्वर कृष्णा खंडेराव के० के० मानकेश्वर एण्ड कं० किम्बळे, नागपुर	1	2	3	4
2.	000799	श्री पटेल भाई लाल हरीभाई, मैसर्स बी० एच० पटेल एण्ड कं० 6/7 शिवसागर 5वां शिवाजी पार्क रोड, बम्बई-400015	1.	3756	श्री हल्दर निरुपम, एफ० सी० ए०, पी 49, सी० आई० डी० रोड, स्कीम-6 (एम) कलकत्ता-54	28-3-95
3.	000146	श्री वेसाई नरेश नातुभाई नरेश एम वेसाई एण्ड कं० 10 भारत हाउस 2रा मंजला, 104, बम्बई समाचार मार्ग, फोर्ट बम्बई-400001	2.	7432	श्री बल्लभ अतिश्या प्रसाद एफ० सी० ए०, 88, डा० सुश्री मोहन एवेन्स, कलकत्ता-700014	1-4-95
			3.	8864	श्री सुराना बाबुलाल, एफ० सी० ए०, 71-ए/2 अलीपुर रोड, कलकत्ता-700027	23-12-94

1	2	3	4	1	2	3	4
1	11897	श्री विरमेश बाबूलाल, एफ० सी० ए० विरमेश एण्ड कं., 36ए, बंटिकट स्ट्रीट, 1 फ्लोर, कलकत्ता-700089	25-1-95	15	52841	श्री शाह सुनिल, एफ० सी० ए०, केयर आफ रामेश्वर दास भद्रलीगम, गो-II चिनपुर सपुर, कलकत्ता-700067	5-12-94
5	13136	श्री गंगोपाध्याय वंज कुमार, एफ० सी० ए०, 9, मंगोई लेन, 1 फ्लोर, कलकत्ता-700001	20-9-93	16	53130	श्री नरदा भीहन कुमार, एफ० सी० ए०, ए/एम-20, वी० एस० एस० नगर मुदनेश्वर-751004	24-10-94
6	15031	श्री नहाता सागर मल, एफ० सी० ए०, मैमर्स एम एम नहाता एंड कं., 2, कलाइव घाट स्ट्रीट, नगर इस्टेट 2 फ्लोर, कलकत्ता-700001	25-1-95	17	54165	श्री सेठिया प्रणव कुमार, एफ० सी० ए०, चोपड़ा हाऊस 133, केनिंग स्ट्रीट, रूम नं० 15, 3 फ्लोर, कलकत्ता-700001	1-3-95
7	15387	श्री घोष सुवता, एफ० सी० ए०, 78 भेतला रोड, टिपनबिता, प्लैट नं० डब्ल्यू 2/7, कलकत्ता-700027	19-1-95	18	54566	श्री दास गुप्ता पार्थ एफ० सी० ए०, फलगुनी 58/8, बरिकापारा रोड, पी० ओ० बेहाला कलकत्ता-700034	1-4-95
8	17175	श्री नहाता हाथी मल, एफ सी ए, ए-410, बागरी मार्किट, 71, बी आर बी बासु रोड, कलकत्ता-700001	23-12-94	19	54582	श्री गुप्ता प्रियम सुन्दर, ए० सी० ए०, क्वाटर नं० 1960, टाइन बी, सेक्टर ई, बरखोरा, भेल, भोपाल-462021	1-4-95
9	51294	श्री सेठ विवेक एफ० सी० ए०, 1, बुड स्ट्रीट, प्लैट नं० 303, 3 फ्लोर, कलकत्ता-700016	1-4-95	20	54650	श्री जैन पवन, एफ० सी० ए०, जैन पवन एण्ड एंसेसिएट्स गनेश मार्किट, 3 फ्लोर आर नं० 305 58/बी नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001	20-3-95
10	51328	श्री रामगुप्ता अरुण ए० सी० ए०, 7, मिडल रोड, कालिया निवास, नेरकपुर, 24-परगनास (एम), नोनाचन्दान पुर	10-8-94	21	54967	श्री रोय चौधरी अनिन्द्या, ए० सी० ए०, प्लेट 4, एस डब्ल्यू, सरोवार, 102, साउथरन एवेन्यू कलकत्ता-700029	16-7-93
11	51757	श्री सेकसारिया कृष्णा कुमार, एफ० सी० ए०, के० के० सेकसारिया एण्ड कं., 58बी नेताजी सुभाष रोड, 4 फ्लोर, कलकत्ता-700001	25-1-95	22	55133	श्री बिहानी लक्ष्मी किशोर, ए० सी० ए०, केयर आफ जी० एस० राठी पी 12/8, करनामोयी इस्टेट, साल्ट लेक, कलकत्ता-700091	7-1-95
12	51773	श्री गोहंका अरुण कुमार, एफ० सी० ए०, 8, लोयंस रेंज, 5 फ्लोर, कलकत्ता-700001	16-3-95	23	55332	श्री गुप्ता संजय कुमार, ए० सी० ए०, केयर आफ पारागोन फाइनर्स एण्ड ग्राइवुड इंडस्ट्रीज लि० 135 ए, सी आर एवेन्यू 2 फ्लोर, आर नं० 15, कलकत्ता-700007	20-2-95
13	51885	श्री जगत रामका अरुण कुमार एफ० सी० ए०, अरुण कुमार एण्ड कं., 1, विलड रोड हास्टिंग्स, कलकत्ता-700022	19-10-94	24	55622	श्री पतनी महेन्द्रा कुमार ए० सी० ए०, 9, इंडिया एसबैज ब्लॉक, 4 फ्लोर, आर नं० 7, कलकत्ता-700001	19-1-95
14	51966	श्री मुखर्जी राजीव कुमार, एफ० सी० ए० डिस्ट स्कीम 5, टाइन 4 ब्लॉक ए, प्लेट 2, सेंट्रल पार्क बेलोपोन हाबड़ा-711104	8-7-93	25	56063	श्री मोहंता गिरिराज कुमार, ए० सी० ए०, 62ए, काली कृष्णा टैमोर स्ट्रीट, कलकत्ता-700007	12-12-94

1	2	3	4
26.	56126	श्री वैद्यराजकोष्ठा आनन्दा कुमार, ए० सी० ए०, महाट्टर नं० जी-18ए न्यू कालोमी जटनी-752080	10-3-95
27.	56194	श्री लाल अजय कुमार, ए० सी० ए०, रम नं० 302, 3 ब्लोर, 41 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001	1-3-95
28.	56516	श्री मुखोपाध्याय सुव्रता ए० सी० ए०, 72/बी, बालागम डे स्ट्रीट, कलकत्ता-700006	1-2-95
29.	56720	श्री नियोगी अमितभा, ए० सी० ए०, ए-9, गवर्नमेंट्स क्वार्टर्स, डा० सुन्दरी मोहन एवेन्यु, कलकत्ता-700014	8-3-95
30.	82796	श्री कंकारिया राजेश कुमार, एफ० सी० ए० 33, ब्रैबोर्न रोड, 5 फ्लोर, कलकत्ता-700001	27-2-95
31.	51658	श्री वासतधन कुमार, ए० सी० ए०, ओम अग्रवाल एन्ड एसोसिएट्स, 24 आर० एन० मुखर्जी रोड, 3 फ्लोर, कलकत्ता-700001	31-3-95
32.	54370	श्री अग्रवाल निगारधारी लाल एफ० सी० ए०, मैनेजर एच ओ एण्ड किटी सेक्रेटरी, श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, 1 गुप्ता लेन, कलकत्ता-700006	31-3-95
33.	54689	श्री मुखोपाध्याय भालोक कुमार, ए० सी० ए० विलेज कपुरिया, डिस्ट० 24 परगनास मोथं बदरिया-743401	15-3-95
34.	56557	श्री भट्टाचार्या शशिजीत, ए० सी० ए०, 21/8, फाल्गुनी भवासन, सेक्टर 3, साइट लेक, कलकत्ता-700091	1-12-94
35.	56895	मिस चौधरी सुवमा, ए० सी० ए०, 5ई, जयजयस्ती, अपार्टमेंट्स 2ए, मंडेविल्ले गार्डन्स कलकत्ता-700019	31-3-95

ए० के० मजुमदार,  
सचिव

मद्रास-600034, दिनांक 10 मई 1995

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-एस० सी० ए० (5)/11/94-95—इस संस्थान की अधि-  
सूचना नं० 3-एस० सी० ए० (4)/4/94-95 दिनांक 22 फरवरी  
1995, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के  
विनियम 20 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है  
कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का

प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिवर्तन  
अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः  
5 दिसम्बर 1994 से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता
1	2	3
1	8348	श्री बैद्यानाथन आर०, ए० सी० ए०, नं० 13 गनापथी कालोनी, 2 लेन, अपोजिट सनेताफ रोड, 2 लेन, मद्रास-600018।
2	18632	श्री राजेन्द्रा नारिम्बघार के० टी०, ए० सी० ए०, केयर आफ नेपाल प्रोजेक्ट आफिस, आई० टी० सी० लि०, मकिन्न बैकानजी बिर्गिहिंग, 16 स्ट्रैंड रोड, कलकत्ता।
3	20401	श्री सुरेश के०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 15/3 ओलिवर रोड, माइलापोर, मद्रास-600004।
4	20621	श्री एसिजाबंध चैरियन, एफ० सी० ए०, 19, ब्रैलेस गार्डन, 2 स्ट्रीट, मद्रास-600006।
5	20879	श्री संशात्री सी० एस०, एफ० सी० ए०, 267, 11 क्रास विलसन गार्डन्स, बंगलौर-560027।
6	20959	श्री सुन्दरसन बी०, एफ० सी० ए०, 1880, 7ए, मेन रोड, ई ब्लॉक, राजाजी नगर 2 स्ट्रेज, बंगलौर-560010।
7	21264	श्री आनन्दा कुमार के०, ए० सी० ए०, 763, अन्ना सलाई, मद्रास-600002।
8	22129	श्री नन्दा कुमार सी०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 882, 7 ब्लॉक, 2 फेज, बाणासकारी 3 स्ट्रेज, बंगलौर-560085।
9	22857	श्री सुरेश पी०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नं० 2, चिराकल बिर्गिहिंग, तिरुवर-676104।

1	2	3	1	2	3
10	23029	श्री दयाकरा रेड्डी एन०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 1 फ्लोर, टी० दयाकरा रेड्डी बिल्डिंग, अरोपिन्दा नगर, नेल्लोर-524003 ।	21	26467	श्री रामाकृष्णा वी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, ए-10, "सौजन्या", अपरूपा टाउनशिप, जीवनीमेसला, हैदराबाद-500855 ।
11	23399	श्री सुष्मैया आर०, ए० सी० ए०, पी० आं० बाक्स नं० 670043 । मजबुका जाम्बिया,	22	26610	श्री गनपथी रामन कं०, ए० सी० ए०, इनारा कं० लि०, रियाद, पी० आं० बाक्स 8326, रियाद 11482, कं० एस० ए० ।
12	24144	श्री श्रीकान्थ टी० ए०, ए० सी० ए०, श्रीकालथाना, पुन्कुन्नम, त्रिचूर-680002 ।	23	26649	श्री अनजानेयुलु पी०, ए० सी० ए०, सीनिथर मनेंजर (एकाउन्टेन्ट), श्री ब्लीचिंग कौमीकल्स (प्रा०) लि०, 40/304, भाग्या नगर, कुरनूल-518004 ।
13	24242	श्री डेरेंक जोसफ डी मल्लो, एफ० सी० ए०, 1/6, लखलोक एनैन्यू, एम० टी० इडन, आक्लैंड, न्यूजीलैंड ।	24	26735	श्री शंकरा राव वार्ड०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 36-14-3, साथी नगर, मांगलराजापुरम, विजयवाड़ा-520010 ।
14	24273	मिस रजिता रेड्डी एस० ए० सी० ए०, 1-2-288/6/4 दोमालगुडा, हैदराबाद-500029 ।	25	27303	श्री मुरली एन०, ए० सी० ए०, नं० 1243, विजिना पुरा, ए ब्लॉक, बिहान्ड के आर पुरम रेलवे स्टेशन, बंगलौर-560016 ।
15	24505	श्री सुबैर एन० कं०, ए० सी० ए०, पी० आं० बाक्स-6600, फल आयल कं० लि०, शारजाह, यू० ए० ई० ।	26	27396	श्री सैयद फिरोज पीर, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बी-203, वी० आर० अपार्टमेंट्स, 11-4-634 ए० सी० गार्ड्स, हैदराबाद-500004 ।
16	24922	श्री राजन एस०, ए० सी० ए०, कैंबर आफ अलागोन्डन फाइनेन्स एण्ड सीरिजिंग कं० लि०, 182 डी नार्थ बेली स्ट्रीट, मदुराई-625001 ।	27	27786	श्री भानुमथी एन०, ए० सी० ए०, प्लॉट 54, 12 स्ट्रीट, सेक्टर 2, कं० कं० मद्रास-600078 ।
17	25040	श्री रंगाराजन एस०, ए० सी० ए०, सीफ एकाउन्टेन्ट, कैंबर आफ मस्कट ओवरसीज आयल एण्ड गैस, पी० आं० बाक्स नं० 656, पोस्ट 112 मुस्क, सलतनत आफ ओमान ।	28	28236	श्री सत्यानारायना कं०, ए० सी० ए०, फाइनेन्स मनेंजर, कपोल, चिराला-523165 ।
18	25610	श्री गोल्लापुडुनी विश्वेश्वररा राव, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, अम्बल बिल्डिंग 2 फ्लोर, 727 माउन्ट रोड, मद्रास-600006 ।	29	28284	श्री हरी आर, ए० सी० ए०, पी-53, 7 मैन सेक्टर 10, एन० आर्हो सी० कालानी, जीवन बीमा नगर, बंगलौर-560075 ।
19	25639	श्री संकरानारायनन वी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, श्रीनिधि, 550, कं० कं० नगर, मदुराई-625020 ।	30	28320	श्री नटराजन कं०, ए० सी० ए०, "आर० ए० कं० इल्लम", प्लॉट नं० 94, 4 मैन रोड, श्री अय्यप्पा नगर, मद्रास-600111 ।
20	26271	श्री ओमप्रकाश कं०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, "आदर्श" करापरम्बा, कोजीकोट्ट-673010 ।			

1	2	3	1	2	3
31	28681	श्री राजा मनिक्कम कं० जी०, ए० सी० ए०, 25 एम जे० एल० एन० थम्बी अब्दुल्लाह सातु, सातु, 50470 कोला लम्पुर, मलेशिया ।	41	201369	श्री प्रभाकरन एस०, ए० सी० ए०, नं० 48/7, फस्ट फ्लास, कौम्बिज संआउट, जलसूर, बंगलौर-560008 ।
32	29163	श्री राव किशन ए, ए० सी० ए०, नं० 6, रोन्नी मनोर, आर्य समाज रोड, बालमट्टा, मंगलौर-575003 ।	42	201640	श्री रवि एन०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 114 के 266, माउंट रोड, मद्रास-600018 ।
33	29192	श्री कंधुरी श्रीनिवासा राव, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, रूम नं० 23, श्री वसायी मार्केट, बन्डला बाजार, गुन्दूर-522003 ।	43	202387	श्री जफिकस हुसैन पी० के०, ए० सी० ए०, "प्रतीक्षा" मलापुरम डिस्ट०, एरामंगलम-679587 ।
34	29596	श्री रामाकृष्णा रंढणी आर०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 7/4/1, 2 फ्लोर, 5 ब्लॉक 59 फ्लास, नियर भाश्यम सर्किल, बंगलौर-560010 ।	44	202443	श्री बैंकटा रमना मेका, ए० सी० ए०, 12-12-204 रविन्द्रा नगर, सीताफलमुंडी सिकन्दराबाद-500361 ।
35	29630	श्री रश्मी आर० परेश, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 311, राजेन्द्रा अपार्टमेंट्स, 158, बरीच रोड, कील्लीज, मद्रास-600010 ।	45	203088	श्री रमेश जे०, ए० सी० ए०, असिस्टेंट मैनेजर इन्टरनल आडिट, बैंकटेश्वरा ह्यूवीयर्स लि०, 9 फ्लोर, सी विंग मित्रल टावर्स, बंगलौर ।
36	29810	श्री शिवासुन्दर जी०, ए० सी० ए०, प्लॉट नं० 211, श्रीपुरम कालोनी, हैदराबाद-500036 ।	46	230195	श्री सेल्वा गनेसन पी०, ए० सी० ए०, 8, हनुमार कोइल स्ट्रीट, वैस्ट मम्बालम, मद्रास-600033 ।
37	73055	श्री श्रीनिवास चित्ता, ए० सी० ए०, 1-2-288/17, डामालगुड्डा, हैदराबाद-500029 ।	47	2496	श्री बालासुब्रामनियन श्रीनिवासा, एफ० सी० ए०, 105, व्ही एम स्ट्रीट, माइलापोर, मद्रास-600004 ।
38	200419	श्री प्रभुदेव एल, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 332, 5 मैन, वैस्ट आफ चोर्ड रोड, 2 स्टैज, महालक्ष्मीपुरम, बंगलौर-560086 ।	48	7173	श्री सुब्बारायन बी० बी०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 33, कृष्णासिंह लैन, जलसूरपेट, बंगलौर-560002 ।
39	200472	श्री विश्वानाथन एस०, ए० सी० ए०, ब्लॉक "सी" 2, नं० 3 कृष्णैया स्ट्रीट, राज अपार्टमेंट्स, मद्रास-600033 ।	49	18838	श्री अब्दुलरहीम सी० एच०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 2/171, ब्रह्मपल्ली, कोचीन-682024 ।
40	201289	श्री रमेश बाबू बी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 17 धेल नगर (नियर डी० ए० बी० स्कूल), आयम्बकम, मद्रास-600088 ।	50	19156	श्री गुणनधरा राव मेका, एफ० सी० ए०, 6-1-68/2, सफाबाद, हैदराबाद-500004 ।
			51	19245	श्री पत्तामी बच्चा एम, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 8, बंसार स्ट्रीट, ली नगर, मद्रास-600017 ।

1	2	3	1	2	3
52	19536	श्री शंकरा राजागोपाल, ए० सी० ए०, मैनेजर (आपरेशन्स), आन्ध्र बैंक गुन्दूर मैन ब्रांच, लक्ष्मीपुरम मैन रोड, गुन्दूर-522007 ।	62	24300	श्री राघवन एम० बी० एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नं० 10, कलाइभगल स्ट्रीट, 4 क्रॉस गांधी नगर, टीवर्स कालोनी, मद्रास-600051 ।
53	19688	श्री रवि एम०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, शैल मार्केट्स (एम० इ०) लि०, पी० ओ० बाक्स-307, ट्टुबई, यू ए ई ।	63	25032	श्री बिरूथुवा दांस डब्ल्यू ए. पी. ., एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 672/ एल पेनियल काम्प्लेक्स, आर० टी० ओ० रोड, फेज 2, सधुवाधारी, बेंगलूर-632009 ।
54	20106	श्री पार्था सार्थी जी०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नं० 4, अलामेलुगंगापुरम, माइलापार, मद्रास-600004 ।	64	26298	श्री जयासंकर आर०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, जे० बी० एल० आर०केड 3 फ्लोर, 199, नार्थ उस्मान रोड, टी० नगर, मद्रास-600017 ।
55	20265	श्री बैकटेश एस०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 52/बी, 3 क्रॉस, जर्नीलिस्ट कालोनी, बंगलूर-560002 ।	65	27037	श्री मिस जनानी राधाकृष्णन, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, "द्वारका" 87, 6 मैन रोड, मालेश्वरम, बंगलूर-560055 ।
56	20655	श्री लक्ष्मणा राव एम०, ए० सी० ए०, 307, पेन्नी स्ट्रीट, गार्नर एन० सी० 27529, यू० एस० ए० ।	66	27174	मिस सुजाथा सुदर्शन, ए० सी० ए०, 139/6-1, डोमलुर एक्सटेंशन, बंगलूर-56071 ।
57	21291	श्री अंटोनी जोसफ, एफ० सी० ए०, धेक्केकुट्टी, इडुचुमपरम्पु, पोनकुन्नम-686506 ।	67	27460	श्री अजीथ कुमार, कं० ए० पी० सैन्टर, आर० एस० रोड, अलबई ।
58	21489	श्री पद्मानाभन सी० कं०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कं० बी० आर० काम्प्लेक्स (अपटैर्स), नियर आर० कं० होस्पिटल, नेताजी बाइपास रोड, धर्मापुरी-636701 ।	63	25032	श्री बिरूथुवा दांस डब्ल्यू ए० पी०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, जनरल मैनेजर (फाइनेंस), बुल पावर सिस्टम्स (पी) लि०, 6-3-347/1-ए द्वारकापुरी कालोनी, हैदराबाद-500482 ।
59	21754	श्री अच्याराम्मी सी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 312, अरीसा कार्नर, सैक्टर 17, वासी, नई बम्बई-400705 ।	69	27957	श्री बैद्यनाथन आर०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 147, वेलस रोड, त्रिप्लीकन, मद्रास-600005 ।
60	23174	श्री शोषागिरी कं० बी०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 735 ओपनकारा स्ट्रीट, 3 फ्लोर, कोयम्बटूर-641001 ।	70	27992	श्री गिरिधर एस० बी०, ए० सी० ए०, अर्नस्ट एण्ड यंग, पी० ओ० बाक्स 140, मनासा, बहेरन ।
61	23638	श्री अम्मांगी यू० जी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 1938, कवालकर गल्ली, बेलगांव-590002 ।	71	28161	श्री मैथ्यू वरचीज, ए० सी० ए०, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओ०/ई०/एन० माइक्रोव सिस्टम्स लि०, कन्नाकुलंगारा, त्रिपुनिथुरा-682301 ।

1	2	3	1	2	3
72	28176	श्री बैंकटेश्वरा राव एन०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, पी नं० 14, 3 फ्लोर, यूनिटी हाउस, एचिडर, हैदराबाद-500001 ।	82	36508	श्री मनी जी० सी० एस०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फ्लैट नं० 111, विजया मंसन, 1 मंन, 2 स्ट्रैज थार० ड्री० एन० लैआउट, विजया नगर, बंगलौर-560040 ।
73	28219	श्री अरुण कुमार आर०, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्लॉट नं० 180, चिन्धामनी स्ट्रीट, अलवर धिरुनगर, मद्रास-600087 ।	83	38239	श्री कुरियाकॉज के० पी०, ए० सी० ए०, केयर आफ बिटानिया इंडस्ट्रीज लि०, एम० टी० एच० रोड, पादी, मद्रास-600050 ।
74	28306	श्री बैंकटेश एस०, ए० सी० ए०, बी 6 डी 28, अजाकॉय स्टैनबुल, तुर्की ।	84	39996	श्री कृष्ण रामाचन्द्रन, ए० सी० ए०, 9/22, जेनिता फ्लैक्स, टी०एम०एम० स्ट्रीट, वन्नाउवुराई धिरुवानियूर, मद्रास-600041 ।
75	28372	श्री शुभंघ आर० एस०, ए० सी० ए०, सीफ एकाउन्टेन्ट, मोडर्न पोल्दी फार्मस कं० सोग, पोस्ट बाक्स 2598 पोस्टल कोड 112, सल्सनत आफ ओमान ।	85	41134	श्री क्रीष्णकर योगिन मोहन, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बी-3, कृष्णा रोड, मालेश्वरम, बंगलौर-560003 ।
76	29228	श्री अलाबला कंटी रेड्डी, ए० सी० ए०, लिय-1-59, ज्यथ नगर, न्यू बी कं० गूवा, हैदराबाद-50038 ।	86	50079	श्री ब्रह्मदत्त प्रसाद गुप्ता, ए० सी० ए०, डिप्टी जनरल मैनजर (फाइनेन्स) आई० जी० आई० लि०, सी 2126 साउथ एवेन्यू, आई० टी० आई० कालोनी, वूरवाणी नगर, बंगलौर-560016 ।
77	29345	मिस उमा देवी कं०, ए० सी० ए०, 3 बी सरधा, 3 ए, वेरन रोड, माह्लापोर, मद्रास-600004 ।	87	50205	श्री विन्ना दीपक राज, ए० सी० ए०, वचेस्ट इंटरनेशनल इंडिया, (डिवीजन आफ पौन्डस (आई) लि०), प्लॉट नं० 6, साफी विहार रोड, साफी, बम्बई-400072 ।
78	29457	श्री जयेंद्रन एम०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 21 बी, गुलामोहन अपार्टमेंट्स, 15 सी, साउथ बाग रोड, टी नगर, मद्रास-600017 ।	88	86067	श्री चिन्ता बैंकटा चाइनुलु, विश्वनाथ, एफ० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 7-2-28/4/5 अमीरपेट, हैदराबाद-500016 ।
79	29612	श्री गोविन्दराजुलु पी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, जे-161, 2 फ्लोर, आटो टावर्स, नं० 9, जे० सी० रोड, बंगलौर-560002 ।	89	87199	श्री अमित कुमार गांधी, ए० सी० ए०, मैनजर, सिटी बैंक, एन० ए०, 5 फ्लोर शक्ति टावर्स, 768, अन्ना सलाई, मद्रास-600002 ।
80	29800	मिस टाईकॉन्डा सुब्बा लक्ष्मी, ए० सी० ए०, 1-10-157, अशोक नगर, हैदराबाद-500029 ।	90	200285	श्री कुमार एस०, ए० सी० ए०, नं० 2, गवर्नमेंट कालेज एजुकेशन, कैम्पस क्वार्टर्स, टीचर्स कालेज, सैदापेट, मद्रास-600015 ।
81	31197	श्री कान्ठन एम०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 20, नार्थन अपार्टमेंट्स, नार्थन रोड, भंडावेली, मद्रास-600028 ।			

1	2	3	4	सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे की गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।
91	200636	श्री फनिन्दर नाथ पी० एस०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्लॉट नं० 61, अवधी नगर, बशीरबाग, हैदराबाद-500029।	4	श्री गोपालस्वामी के०, ए० सी० ए०, केयर ओफ अल रीफ एल एस सी, पी० बी० नं० 418, गादीबात फ्लूस, पोस्टल कोड 115, सलतनत आफ ओमान
92	201195	श्री सूर्यनारायण पी०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, केयर आफ पी० एस० गगवानुलु, 18-82/4 सी, प्लॉट नं० 215, हनुमानपेट मलकाजगिरी, हैदराबाद-500047।	4	श्री गोपाला वेसीकन आर०, ए० सी० ए०, 26, श्री कामाधेनु नगर, अवरामपलायाम, कोयम्बटूर-641006.
93	201599	श्री अनंथापवमानाभन जी०, ए० सी० ए०, एफ-3, एस० एस० 3 फ्लैट्स नं० 14, गांधीनगर, 2 फ्रीसैंट पार्क रोड, अड्यार, मद्रास-600020।	4	श्री शिवारामाकृष्णन, आर०, ए० सी० ए०, केयर ओफ डी० टी० आर० सुब्रामनियम, 90, 3 स्ट्रीट, टाटाबाद, कोयम्बटूर-641012
94	202383	श्री भारगवा सिरम एल० पी० एस० एन०, ए० सी० ए०, 2-12-23, उर्बसी बिल्डिंग, गांधी नगर, तेनली-522201।	4	श्री जोर्जे के बरधीन, ए० सी० ए०, अलाप्पत हाऊस, उरालननुकर पी० ओ०, अपोजिट मावत पंचायत आफिस, त्रिचूर-680551
95	202663	श्री गोपालकृष्णा गुप्ता ई० एस०, ए० सी० ए०, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 283, 9 मैन रोड, 2 फ्लास, हनुमंथानगर, बंगलौर-560019।	4	श्री गोविन्दा राज जे०, ए० सी० ए०, 248, माउन्ट रोड, मद्रास-600006
96	202847	श्री गोपीनाथ कृष्णन, ए० सी० ए०, 8/1, सुल्तान पलाया 1 मैन, आर० टी० नगर, पी० ओ०, बंगलौर-560032।	4	मिस पीता रामाकृष्णन अयर, ए० सी० ए०, बी-3, मिन्डज गार्डन्स, 1 डेडोज रोड, मद्रास-600002
		ए० के० मजुमदार, सचिव		मिस रमा पी०, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 301, बालाजी अपार्टमेंट्स, आनन्ध नगर, हैदराबाद, हैदराबाद-500004
		मद्रास-600 034, दिनांक 22 मई 1995 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स		श्री एपारी कृष्णा भोहन, ए० सी० ए०, रीडिंग एण्ड बेट्स एक्सप्लोरेशन कं०, भवानी मैसन, 2 फ्लोर 3, 4 लेन, नण्यम्बकम हाई रोड, मद्रास-600003।
		सं० 3 एस० सी० ए० (5)/12/94-95—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 3-एस० सी० ए० (4)/3/93-94 दिनांक 11 जनवरी, 1994, 3- एस० सी० ए० (4)/3/92-93 दिनांक 27 नवम्बर 1992, 3-इस्यु सी० ए० (4)/3/93-94 दिनांक 1 दिसम्बर 1992, और 3-इस्यु सी० ए० (4)/3/93-94 दिनांक 2 दिसम्बर 1993 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्- द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित		श्री महेन्द्रा कुमार, ए० सी० ए०, केयर ओफ मवन सिषीषी राठोर, 5/17, थापास्नी हाउसिंग बोर्ड, 5 पुलिया, जोधपुर

ए० के० मजुमदार,  
सचिव



द इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एंड वकर्स एकाउन्टेन्ट्स

कलकत्ता-700016, दिनांक 26 मई 1995

सं. 11-सी डब्ल्यू आर (148-50)/95—द कास्ट एण्ड वकर्स एकाउन्टेन्ट्स विनियमन् 1959 के उप-विनियमन् (3) का अनुसरण करते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि पेशेवर के रूप में कार्य करने हेतु स्वीकृत प्रमाण-पत्र (1) श्री ओम प्रकाश गुप्ता, बी सी ओ एम, एम ए, एल एल बी, ए आई सी डब्ल्यू ए, बी एम-23, (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110052 (सदस्य सं. 1522) को उनके अपने अनुरोध पर 6 मार्च, 1995 से 30 जून, 1995 तक निरस्त कर दिया गया। (2) श्री टी. एस. नागसुन्दरम्, एम ए, एम एस सी, एफ आई सी डब्ल्यू ए, 99 फोर्थ क्रोस, अरकेरे पाइके लायआउट, सैन्टरघाट रोड, बंगलोर-560076 (सदस्य सं. 3606), को उनके अपने अनुरोध पर 8 अप्रैल, 1995 से 30 जून, 1995 तक निरस्त कर दिया गया। और (3) श्री आदिनाथ बनर्जी बी एस सी, एफ सी एस, ए आई सी डब्ल्यू ए, पी-130, लेक टरेगेम, कलकत्ता-700029 (सदस्य सं. 4265) को उनके अपने अनुरोध पर 19 मई, 1995 से 30 जून, 1995 तक निरस्त कर दिया गया।

एस. आर. आचार्य  
सचिव

सं. 16-सी डब्ल्यू आर (1189-1192)/95—द कास्ट एण्ड वकर्स एकाउन्टेन्ट्स विनियमन् 1959 के विनियमन् 16 का अनुसरण करते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि द कास्ट एण्ड वकर्स एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए द काउन्सिल आफ द इन्स्टीच्यूट आफ कास्ट एण्ड वकर्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया ने अपने-अपने सदस्यों के रजिस्टर से निम्नलिखित सदस्यों का नाम हटा दिया है :—(1) श्री विमान बिहारी शौमिक, बी एस सी ए आई सी डब्ल्यू ए, उदयाचल, 204/डी, बिरौने राव रोड, ईस्ट, कलकत्ता-700008 (सदस्य सं. 1708) 27 जनवरी, 1995 में प्रभावी, (2) श्री एन. सूर्यनारायणन् एम ए, ए आई सी डब्ल्यू ए, 58, गणपति अर्धघर गाडन, कालोती, थिरुवननाई-कोईल, तिरुचिरापल्ली-620005 (सदस्य सं. 5822) दिनांक 5 जनवरी, 1995 में प्रभावी। (3) श्री पी. रामण, बी काम एफ आई सी डब्ल्यू ए, मकान नं. 438, कृष्णा कम्प्लेक्सचैरी मुख्य, अशोकीन -682022 (सदस्य सं. 1015) दिनांक-4 मार्च, 1995 में प्रभावी और (4) श्री स्वप्न कुमार राय, बी एस सी, ए आई सी डब्ल्यू ए, 3/3/1-एन, पट्टिगारी बनर्जी पाडा रोड, कलकत्ता-700001 (सदस्य सं. 5277) दिनांक 18 मार्च, 1995 में प्रभावी (मृत्यु के कारण)।

एस. आर. आचार्य  
सचिव

करते हुए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमन के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए द काउन्सिल आफ द इन्स्टीच्यूट आफ द कास्ट एण्ड वकर्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया ने अपने सदस्यता रजिस्टर में श्री आर. सेतुरमण, बी. काम, ए आई सी डब्ल्यू, ए., ए-4, "कृष्णा" प्लाट 17सी, बागुर नगर, वारेगांव, (पश्चिम), बम्बई-400090 सदस्यता नं. 3378) का नाम 7 अप्रैल, 1995 में प्रभावी पुनः लिख लिया है।

एस. आर. आचार्य  
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

मंडल दिल्ली, दिनांक 31 मई 1995

सं. एन. 15/13/1/95-यो. एवं वि. (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ एठिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-6-1995 एंसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में शीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे। अर्थात:

“विजया विजयामाबाद के गेदपल्ली मंडल में राज्य ग्राम जनकम्पेट की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र”

एस. एन. विहारी  
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन. 15/13/1/5/95-यो. एवं वि. (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ एठिन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-6-1995 एंसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में शीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे। अर्थात:

“विजया कुरनूल के नदयाल मंडल में राज्य ग्राम चट्टोलू के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र”।

एस. एन. विहारी  
निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. 18-सी डब्ल्यू आर (299)/95—द कास्ट एण्ड वकर्स एकाउन्टेन्ट्स विनियमन् 1959 के विनियमन् 18 का अनुसरण  
3—159GI/95

सं. एन. 15/13/1/9/95-गो. एवं वि. (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-6-1995 एसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे।  
अर्थात्:

“जिला मालगोंडा के भोंगीर मंडल में राजस्व ग्राम रायगिरी, ब्रह्मापुर और अनन्तराम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र”।

एस. एन. तिवारी  
निदेशक (गो. एवं वि.)

सं. एन. 15/13/1/12/95-गो. एवं वि. (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-6-1995 एसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे।  
अर्थात्:

“जिला रायचौड़ा के उप्पल मंडल में राजस्व ग्राम गोडूपाल, पीरवाडीगुडा मंडपल्ली मिथापुर और पलमालीगुडा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र”।

एस. एन. तिवारी  
निदेशक (गो. एवं वि.)

सं. एन. 15/13/1/13/95-गो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-6-1995 एसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे।  
अर्थात्:

“जिला पूर्वी गोंदावरी के कादरीम मंडल में राजस्व ग्राम कीरुवम जयस्पाडा (माधवरावगुडा के क्षेत्र के उलावा जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना पहले ही लागू होने लगी है) और श्री राजगीरम की अंतर्गत आने वाले क्षेत्र”।

एस. एन. तिवारी  
निदेशक (गो. एवं वि.)

सं. एन. 15/13/1/17/95-गो. एवं वि. (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1-6-1995 एसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे।  
अर्थात्:

“जिला तारणल के हनमकोंडा मंडल में राजस्व ग्राम पाईदीपल्ली और आरपल्ली और हसनपारथी मंडल में राजस्व ग्राम हसनपारथी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र”।

एस. एन. तिवारी  
निदेशक (गो. एवं वि.)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110015, दिनांक 13 जून 1995

सं. सम्मेलन 5(10)/94/ओ.आर./1408—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उपपैराग्राफ (1) के अनुसरण में तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना संख्या. सम्मेलन. 5(10)/87/ओ.आर./10086 दिनांक 31-12-90 जिसका भारत के राजपत्र के भाग-3, खंड-4 में दिनांक 19-1-91 में प्रकाशन हुआ है, का अतिक्रमण करते हुए, अध्यक्ष, केन्द्रीय नानी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि उड़ीसा राज्य के लिए क्षेत्रीय समिति का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे  
अर्थात् :—

अध्यक्ष

- सचिव  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
उड़ीसा सरकार,  
भुवनेश्वर।  
केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त
- सदस्य  
श्रम प्रायुक्त,  
उड़ीसा सरकार,  
भुवनेश्वर।  
राज्य सरकार की सिफारिशों पर अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियुक्त दो कर्मचारी
- फंडियों तथा बायलरों का  
मुख्य निरीक्षक  
भुवनेश्वर।  
—वही—

4. श्री जी० एस० पी० सिन्हा,  
अध्यक्ष, उत्कल चैम्बर आफ  
कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री,  
कटक

राज्य में नियोजित  
संगठनों के परामर्श से  
अध्यक्ष केन्द्रीय बोर्ड  
द्वारा नियुक्त नियोजित  
पक्ष के तीन प्रतिनिधि

5. श्री वी० डी० बजाज,  
उपाध्यक्ष (वर्क्स)  
मै० जे० के० पेपर मिल्स,  
जेकेपर, रायगढ़

—वही—

6. श्री एस० बी० मिश्रा,  
प्लाट नं० 704, शहीद नगर,  
भुवनेश्वर-751007

—वही—

#### कर्मचारियों के प्रतिनिधि

7. श्री रामचन्द्र खूटिया,  
अध्यक्ष, इटक,  
उड़ीसा शाखा भुवनेश्वर,  
पो० जाजपर रोड़,  
जाजपुर

राज्य में कर्मचारियों  
के संगठनों के परामर्श  
से अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड  
द्वारा नियुक्त कर्मचारी  
पक्ष के तीन प्रतिनिधि

8. श्री जोगेन्द्र त्रिपाठी,  
एडवोकेट,  
सचिव, एच० एम० ए।०  
पो० धेनकनाल, उड़ीसा।

—वही—

9. श्री रामभुनाथ नायक,  
यू० टी० यू० सो० एल० एस०  
3 आर० एम० एल० ए०  
कालोनी, भुवनेश्वर

—वही—

10. क्षेत्र के प्रभारी क्षेत्रीय  
सविषय निधि आयुक्त  
क्षेत्रीय समिति के सदस्य होंगे

एच. डब्ल्यू. टी. सोम  
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1994

क्र. बी. 26017/5/90-आ.शि.—(ड.) भारतीय चि-  
कित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48)  
की धारा 36 के उपबन्ध (अ), (ब) और (द) के अधीन प्रदत्त  
अधिकारों की अनुपालना में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परि-  
षद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम 1979 में निम्न संशोधन करती  
है—

(1) इन विनियमों को "भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परि-  
षद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) संशोधन विनियम, 1994"  
कहा जाये।

(2) ये विनियम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
(स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम 1970 में प्रथम  
जुलाई 1994 से प्रभावी होंगे। परिशिष्ट-1 के  
लिए निम्न परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा,  
यथा—

आयुर्वेद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम मानक एवं  
पाठ्यविधि।

#### 1. उद्देश्य एवं प्रयोजन :

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संचालन का उद्देश्य विशिष्टताओं  
और अतिविशिष्टताओं में अभिविन्यास (विश्विन्यास) करना  
यथा ऐसे विशेषज्ञों को तैयार करना होगा जो सुयोग्य और वक्ष  
अध्यापक, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, औषधि निर्माण वक्ष,  
अनुसंधान कर्ता तथा आयुर्वेद के पाण्डित्य के युक्त विद्वान आदि  
अपने-अपने क्षेत्र में महान शान मुकता हों।

#### 2. विशिष्टताएं जिनमें स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है :

1. आयुर्वेद सिद्धांत और दर्शन।
2. संहिता-(क) चरक संहिता (ख) सुश्रुत संहिता (ग)  
अष्टांग हृदय-अर्णाग संग्रह।
3. रचना शरीर।
4. क्रिया शरीर (संशोधन धातु रसायन विज्ञान)।
5. द्रव्यगुण विज्ञान।
6. रसकण्ठ।
7. भेषज्य कल्पना।
8. प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग।
9. कामार भृत्य।
10. काय चिकित्सा।
11. स्वस्थवृत्त।
12. रोग निदान-विकृति विज्ञान।
13. मनाविज्ञान।
14. शल्यतंत्र।
15. शालाक्य तंत्र।
16. पंचकर्म।

#### 3. स्नातकोत्तर उपाधि की विशिष्टताओं की नामावलि :

1. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (आयुर्वेद सिद्धांत)
2. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (संहिता)
3. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (रचना शरीर)

4. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (क्रिया शास्त्र)
5. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (द्रव्यगुण)
6. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (भेषज्य कल्पना)
7. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (रसशास्त्र)
8. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (कौमार भ्रूण)
9. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.एस. (प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग)
10. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (स्थव्यवृत्त)
11. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (काय चिकित्सा)
12. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (रोग विद्वान)
13. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.एस. (शल्य तंत्र)
14. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.एस. (शालाका तंत्र)
15. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (मनोचिज्ञान)
16. आयुर्वेद वाचस्पति-एम.डी. (पंचकर्म)

#### 4. प्रवेश

##### पात्रता

1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित विश्वविद्यालय/संविधिक निकाय की आयुर्वेदीय उपाधि ।

2. जिन्होंने उपाधि पाठ्यक्रम की परीक्षा एक ही प्रयास में उत्तीर्ण की हो केवल वे ही प्रवेश के पात्र होंगे ।

##### प्रवेश विधि

1. निम्न सदस्यो वाली एक प्रवेश समिति होगी :—

- (क) संकायाध्यक्ष—सभापति
- (ख) प्रोन्नत स्नातकोत्तर महाविद्यालय अथवा केन्द्र का प्राचार्य/यदि संकाय में एक से अधिक प्राचार्य हैं तो क्रमानुसार—सदस्य
- (ग) क्रमानुसार स्नातकोत्तर विभाग के दो वरिष्ठ विभागाध्यक्ष—सदस्य
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा मनोनीत सम्बन्धित विषय का एक विशेषज्ञ—सदस्य

2. चयन श्रुतापूर्वक अर्हकारी परीक्षा में कार्यक्षमता पर आधारित वरीयता का आधार पर किया जायेगा ।

##### अथवा

चयन श्रुतापूर्वक निम्न सूचीगत परीक्षाओं में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पर आधारित एक सामान्य अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर होगा ।

- (क) लिखित परीक्षा (90 अंकों में से गणना की जायेगी) ।
- (ख) साक्षात्कार परीक्षा (10 अंकों में से गणना की जायेगी) अंतिम तालिका (100 अंकों में से गणना की जायेगी) ।

3. परीक्षाओं को विषय के चिकित्सा के परिवर्तन की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी । श्रुतापूर्वक योग्यता के आधार पर आर्बिटल विषय किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जायेगा तथा इस प्रवेश के समय घोषित किया जायेगा ।

4. प्रवेश के लिए पात्रता हेतु अंतिम तालिका में न्यूनतम 50 प्रतिशत (आरक्षित श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत) अंक होंगे ।

5. प्रायोजित/प्रतिनियुक्त अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए अनिवार्य अर्हता धारण करना आवश्यक होगा और उसे प्रतियोगियों में स्वयं को सफल बनाना और न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करना भी आवश्यक होगा ।

6. लिखित परीक्षा में एक सामान्य लिखित प्रश्न पत्र होगा जिसमें आयुर्वेद के सभी विषयों को आवृत्त करने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके विस्तृत विवरण का निश्चय इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति अथवा पाठ्यविधि में निर्धारित नियमों के द्वारा किया जायेगा ।

7. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए आहूत अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या में तीन गुना से अधिक नहीं होगी । यह नियम अनुसूचित जाति/अनजाति वर्गों के लिए भी लागू होगा ।

8. साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के नाम साक्षात्कार समिति को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के बराबर बिना सूचित किए जाएंगे ।

##### अध्ययन की अवधि और उपस्थिति

(1) प्रवेश के पश्चात् अभ्यर्थी को तीन वर्ष की अवधि तक अध्ययन करना होगा जिसमें से एक वर्ष प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के लिए और अगले दो वर्ष विशिष्टता पाठ्यक्रम के लिए होंगे ।

(2) छात्र को परीक्षा में प्रवेश की पात्रता के लिए व्याख्यान, प्रदर्शन, क्रियात्मक और चिकित्सीय अभ्यास के पृथक रूप से न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना आवश्यक होगी ।

(3) छात्रों को अध्ययन क्रम के दौरान यथा आर्बिटल अस्पताल और अन्य कार्यों में उपस्थित होना आवश्यक होगा । सभी छात्रों को प्रारम्भिक और अंतिम पाठ्यक्रमों के दौरान संबंधित विभागों में क्रमशः हाऊस जात्र और क्लिनिकल रजिस्ट्रार के कर्तव्यों को करना आवश्यक होगा ।

(4) शिक्षण विभागों द्वारा आयोजित विशिष्ट व्याख्यान, प्रदर्शनों, विचारगोष्ठियों, अध्ययन पर्यटन और अन्य ऐसे कार्यक्रमों में भी उपस्थित होना आवश्यक होगा ।

(5) जिस अभ्यर्थी ने नियमित अभ्यर्थी रहते हुए एक विषय में पहले ही स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली है और तत्पश्चात् अन्य विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे अध्ययन अवधि में छूट नहीं दी जाएगी ।

(6) तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले शिक्षकों को निर्दिष्ट अभ्यर्थी के रूप में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की अनुमति होगी । कार्यरत चिकित्सकों/शिक्षकों के अध्ययन अवधि में कोई छूट नहीं दी जायेगी ।

## प्रशिक्षण की विधि

(1) अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विषय में तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन सहित शास्त्रीय ज्ञान में गहन प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(2) अन्तः प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए न कि उप-देशात्मक भाषणों पर।

(3) अभ्यर्थी के लिए सम्बन्धित क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान कार्यों की विधि एवं तकनीक का ज्ञान आवश्यक है।

(4) अभ्यर्थी को उसकी देखरेख में सौंपे गए रोगी की चिकित्सा और प्रबंध वर्गीकृत उत्तरदायित्व दिया जाने हेतु प्रशिक्षण इस तरह के छांटे में दिया जाना आवश्यक है तथा आकस्मिक रोगियों को भी देखें।

(5) अभ्यर्थी को उनके विषय में स्नातकीय छात्रों अथवा विशिष्टानुप्रवीणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लेना चाहिये।

(6) प्रथम वर्ष की अविधि में आयुर्वेद के समस्त विषयों के मौलिक सिद्धांतों के व्यावहारिक पक्षों का पर्याप्त ज्ञान देने के लिए जोर दिया जाना चाहिये और आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों के विशिष्ट संदर्भ से सम्बन्धित समस्त व्यावहारिक एवं तुलनात्मक पक्षों को चिकित्सा के मूल विज्ञान में पर्याप्त प्रशिक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए।

(7) चिकित्सीय प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थी को विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र कार्य करने में ज्ञान का विस्तार करना होना चाहिए।

(8) शल्य, शालाक्य और प्रसूति तंत्र विषयों में क्रियात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य अन्वेषण, प्रक्रिया, तकनीक और शल्य क्रिया निष्पादन का ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिये ताकि अभ्यर्थी में शल्य क्रिया विधियों और सम्बन्धित विषय में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो।

(9) पाठ्यक्रम की समस्त अवस्थाओं के दौरान छात्रों को योजनाबद्ध कार्यक्रम के रूप में सम्पूर्ण एवं गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के निरीक्षण एवं प्रांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

(10) अध्ययन पाठ्यक्रम के दौरान अध्यापन तकनीक और शोध-विधियों में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

## शोध प्रबंध

(1) शोध प्रबंध पर कार्य करने की अनुज्ञा दिए जाने से पूर्व अभ्यर्थी को प्रवेश के छः माह के भीतर शोध प्रबंध का शीर्षक पंजीकृत करवा लेना चाहिए और प्रारम्भिक वर्ष के अंत तक सारांश अनुमोदित करवा लेना चाहिए।

(2) शोध प्रबंध के शीर्षक के लिए आवेदन-पत्र में कार्य के प्रस्तावित उद्देश्य और विभाग के नाम और निरीक्षक/पर्यवेक्षक और सह-निरीक्षक के नाम और पदनाम सहित अभ्यर्थी के परिचय का दर्शाते हुए कार्य के प्रस्तावित प्रयोजन के सारांश सहित शोध प्रबंध के शीर्षक का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

(3) एक बार-शोध-प्रबंध का शीर्षक अनुमोदित होने पर अभ्यर्थी को शीर्षक अथवा कार्य के प्रस्तावित प्रयोजन के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

(4) यदि अभ्यर्थी ऊपर उल्लिखित अविधि के भीतर सारांश सहित शोध-प्रबंध का शीर्षक प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।

(5) किसी भी अभ्यर्थी को शोध प्रबंध के पंजीयन का एक वर्ष समाप्त होने और अंतिम परीक्षा के छः माह पूर्व तक शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।

(6) अभ्यर्थी के द्वारा चुनी हुई और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक के मार्गनिर्देशों में पूरी की गई समस्या पर शोध किद जाने की तिथि और संभावना को शोध प्रबंध में रखा चाहिए।

(7) शोध प्रबंध में संबंधित साहित्य का आलोचनात्मक सर्वे, अनुसंधान के संबंध में विमर्श, अनुसंधान विमर्श का परिणाम, विषय से संबंधित विद्यमान साहित्य, निष्कर्ष शोध प्रबंध का सारांश तथा शोध प्रबंध में उल्लिखित संदर्भों का समावेश होना चाहिए।

(8) विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित नियमों अथवा अध्यादेश के अनुसार एक जांच समिति गठित होगी जो नियमानुसार प्रस्तुत शोध प्रबंध के शीर्षक और कार्य की प्रस्तावित योजना की जांच करेगी और उसे अनुमोदित करेगी। प्रत्येक शोध प्रबंध का विषय प्रायोगिक की प्रधानता युक्त निराशाजनक विषयों से रहित और आयुर्वेद सेवा के विकास में सहायक होना चाहिए।

(9) शोध प्रबंध साधारणतया 200 टंकित पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। शोध प्रबंध के अंत में 1500 शब्दों से अनाधिक का सारांश होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष हो।

(10) निदेशक/पर्यवेक्षक अपने विषय में कम से कम 5 वर्ष का स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव धारण करने वाला प्राध्यापक/प्राध्यापक के स्तर का व्यक्ति होगा। प्राध्यापक एवं प्राध्यापक प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में क्रमशः तीन और दो छात्रों का निदेशन कर सकता है। सात वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के अनुभव वाला प्रवक्ता प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में एक अभ्यर्थी का निदेशन कर सकता है।

(11) साहित्यिक प्रस्तुतीकरण के संबंध में शोध प्रबंध संतोष-जनक और संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने हेतु उपयुक्त होना चाहिए।

(12) पर्यवेक्षकों अथवा पर्यवेक्षक के प्रमाण-पत्रों अथवा प्रमाण-पत्र सहित शोध प्रबंध की चार सजिल्द प्रतियां कुलसचिव के कार्यालय में परीक्षा प्रारम्भ होने से तीन माह पूर्व अवश्य पहुंचानी चाहिए।

(13) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त चार परीक्षकों जिनमें से दो बाहरी और दो आन्तरिक होंगे के द्वारा शोध प्रबंध मूल्यांकित किया जाएगा। शोध प्रबंध के आन्तरिक परीक्षकों में से एक मुख्य पर्यवेक्षक जिसके अधीन अभ्यर्थी ने शोध प्रबंध के लिए कार्य किया हो, होना चाहिए।

(14) शोध प्रबंध, परीक्षण के लिए नियुक्त परीक्षकों के द्वारा सर्व-सम्मत अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकार किया जाएगा।

(15) यदि शोध प्रबंध को स्वीकार नहीं किया जाता है तो परीक्षकों की टिप्पणी सहित इसे अभ्यर्थी को वापिस दे दिया जाएगा और अभ्यर्थी परीक्षकों की टिप्पणी के प्रकाश में आवश्यक सुधार करने के पश्चात् शोध प्रबंध को विश्वविद्यालय को पुनः प्रस्तुत कर सकेगा। परन्तु यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।

(16) अभ्यर्थी शोध प्रबंध के लिए नियुक्त परीक्षकों के द्वारा शोध प्रबंध के अनुमोदन के पश्चात् सैद्धान्तिक, मौखिक और चिकित्सीय सहित क्रियात्मक वाली आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर उपाधि की द्वितीय परीक्षा में बैठ सकेगा।

(17) शोध-प्रबंध के शीर्षक के सारांश की एक प्रति शीर्षक के शीघ्र पश्चात् ही निबंधक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को भेजी जाएगी। स्वीकृत शोध प्रबंध की एक प्रति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के पुस्तकालय में रखी जाएगी।

#### परीक्षा और उसका निर्धारण

स्नातकोत्तर उपाधि की निम्न दो परीक्षाएं होंगी :—

- (1) प्रारम्भिक परीक्षा संस्था द्वारा संचालित प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में।
- (2) प्रथम परीक्षा के पश्चात् दो शैक्षणिक वर्षों के अंत में अंतिम परीक्षा।
- (3) अंतिम परीक्षा प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के दो वर्ष पश्चात् होगी और अभ्यर्थी अधिगततम दो अवसर प्राप्त कर सकता है। अंतिम परीक्षा 6 माह के अंतराल में दो बार होगी।
- (4) परीक्षाओं के किसी भी भाग में प्राप्तांक प्रदान नहीं किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम समस्त संबद्ध परीक्षकों वाली परिणाम समिति के विचारोपरान्त उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के रूप में घोषित किया जाएगा।
- (5) परीक्षा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के मई-जून और अक्टूबर-नवम्बर माह में आयोजित की जाएगी।
- (6) परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए अभ्यर्थी को पृथक रूप से समस्त विषय उत्तीर्ण करने होंगे।
- (7) जिस विषय/विषयों में अभ्यर्थी सफल घोषित हो जाता है उसमें उसे उत्तरवर्ती अवसरों में एक या अधिक विषयों में परीक्षा देना आवश्यक नहीं है।
- (8) यदि अभ्यर्थी केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे अंतिम परीक्षा में बैठने से पूर्व उस विषय को उत्तीर्ण करना होगा।

(9) यदि अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा के सैद्धान्तिक और क्रियात्मक में अनुत्तीर्ण होता है तो नया शोध प्रबंध प्रस्तुत किए बिना अभ्यर्थी उत्तरवर्ती परीक्षा में बैठ सकता है।

(10) अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर उपाधि शोध प्रबंध की स्वीकृति और अभ्यर्थी के द्वारा चुने गए विषय में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही प्रदान की जाएगी।

#### मूल्यांकन

(1) (क) परीक्षा का लक्ष्य अभ्यर्थी की चिकित्सीय कुशाग्रता और उसकी योग्यता एवं विषय के व्यावहारिक पक्ष में उसके कार्यकारी ज्ञान की जांच और विशेषज्ञ के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में योग्यता होनी चाहिए।

(ख) चिकित्सीय परीक्षा का लक्ष्य अभ्यर्थी की शोध निर्धारण की साधनपूर्ण क्षमता एवं अपने विषय में आयुर्वेद और वैज्ञानिक साहित्य के साथ उसकी आत्मीयता की जांच होना चाहिए।

(ग) परीक्षा का मौखिक परीक्षा भाग विस्तीर्ण होना चाहिए और उसमें विषय के किसी भी पक्ष पर विमर्श का समावेश होना चाहिए।

#### विषय

(क) प्रारम्भिक परीक्षा—प्रवेश के पश्चात् एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में निम्न विषयों में प्रारम्भिक परीक्षा होगी।

1. चिकित्सा सांख्यिकी एवं अनुसंधान विधि।
2. चिकित्सा के मौखिक विज्ञानों के सिद्धान्तों के संबद्ध अध्ययन सहित प्रायोगिक पक्षों पर जोर देते हुए आयुर्वेद के गैर चिकित्सीय विषयों के सिद्धान्त।
3. चिकित्सा के मूल विज्ञान के सिद्धान्तों से संबद्ध अध्ययन सहित प्रायोगिक पक्षों पर जोर देते हुए आयुर्वेद के चिकित्सीय विषयों के सिद्धान्त।
4. अभ्यर्थी के द्वारा स्वीकृत रूप से गृहीत विषय के लिए संबद्ध विभाग में निम्नवत् प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :—

(क) अस्पताल में नियमित चिकित्सीय प्रशिक्षण।

(ख) विभाग में किए गए शोध कार्य का क्रियात्मक प्रशिक्षण।

- (ग) विषय से संबंधित साहित्य का अभ्यास ।
- (घ) विभिन्न विचारगोष्ठियों, संगोष्ठियों और वाच-विवाद में सक्रिय भागीदारी ।
- (ङ) शोध प्रबंध का शीर्षक और उसके सारांश को अंतिम रूप देना ।

प्रथम वर्ष के वार्षिक उपर्युक्त बिंदुओं पर किए गए कार्य का मूल्यांकन प्रारम्भिक परीक्षा के समय किया जाएगा ।

(ख) अंतिम परीक्षा—अंतिम परीक्षा (1) शोध प्रबंध (2) लिखित-पत्र (3) चिकित्सीय मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा, जैसी भी स्थिति हो से यक्त होगी । प्रत्येक विषय में चार सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र और एक प्रायोगिक क्रियात्मक/चिकित्सीय तथा अभ्यर्थी के द्वारा विशेष अध्ययन के लिए चुने गए विषयों में से किसी एक विषय अथवा विषयों के वर्ग में मौखिक होगा ।

#### परीक्षा योजना

क्रियात्मक/चिकित्सीय मौखिक परीक्षाओं द्वारा अनुसरित प्रारम्भिक और अंतिम परीक्षा की योजना का विवरण निम्नवत् होगा :—

परीक्षकों का मापदण्ड :

1. परीक्षक एक बार में तीन वर्षों से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किए जाएंगे । उसे दो वर्षों के अंतराल के पश्चात् पुनः नियुक्त किया जा सकता है ।
2. परीक्षक को उस विषय की स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन अनुभव होना चाहिए । पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राध्यापक (प्रोफेसर) और प्रवाचक (रीडर) के लिए और 7 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रवक्ता (लेक्चरर) के लिए अनिवार्य है ।

शिक्षा का माध्यम

शिक्षा का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत होगा । संस्कृत को बरीयता दी जानी चाहिए ।

स्नातकोत्तर उपाधि शिक्षण केन्द्र के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं

1. केन्द्र को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्नातकीय प्रशिक्षण के लिए यथा विहित न्यूनतम आवश्यकताओं से संतुष्ट करना चाहिए और इसके

अतिरिक्त विभाग में आवृत किए गए कार्य के प्रभार पर आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए ।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा प्रशिक्षण के विषयों से संबंधित यथा संस्तुत आयुर्वेद और चिकित्सा के मूल विज्ञान में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ।
3. प्रशिक्षण के सह-योजन के लिए अनुषंगी विभाग की सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए ।
4. संस्था के पास संबंधित विशिष्ट और विषय में पर्याप्त उपकरण एवं शोध की सुविधाएं होनी चाहिए ।
5. संस्था के पास विशिष्टताओं की पर्याप्त सुविधा सहित उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित 150 शय्याओं वाला अस्पताल होना चाहिए । तथापि चिकित्सीय विषयों में प्रति विद्यार्थी 10 शय्याएं होनी चाहिए ।

स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सुविधाएं

राज्य में अन्य चिकित्सा के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए प्रचलित दर पर छात्रवृत्ति एवं आकस्मिक-निधि प्रदान की जानी चाहिए । परिषद् इन्हें अनिवार्य सुविधा के रूप में जानेगी जो आयुर्वेद विषय में स्नातकोत्तर छात्रों को प्रदान की जाएगी ।

छात्र-शिक्षक अनुपात

छात्र-शिक्षक अनुपात इस प्रकार होना चाहिए कि स्नातकोत्तर अध्यापकों की संख्या प्रतिवर्ष प्रचिष्ट स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या के आधार पर एक के प्रति एक (1:1) व्यवस्थित हो । जहां शिक्षकों की संख्या 3 प्रति यूनिट से कम हो तो छात्रों की संख्या कम कर दी जानी चाहिए ताकि प्रतिवर्ष एक छात्र प्रति शिक्षक के अनुपात को बनाए रखा जा सके । यह वहां भी लागू होगा जहां पद रिक्त पड़े हैं और प्रचिष्ट छात्रों की संख्या ऊपर उल्लिखित मापदण्ड से अधिक होगी ।

कार्मिक पद्धति

स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं को अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने

के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारी (विभागानुसार) निम्न होंगे :—

विभाग का नाम	प्राध्यापक	प्रवाचक	व्याख्याता
1. आयुर्वेद सिद्धान्त एवं दर्शन	1	2	4
2. संहिता	1	3	3
3. रचना शरीर	1	2	4
4. क्रिया शरीर	1	2	4
5. द्रव्य गुण विज्ञान	1	2	4
6. रसशास्त्र	1	2	4
7. भेषज्य कल्पना	1	2	4
8. प्रसूतिसन्त एवं स्त्रीरोग	1	2	4
9. कौमार भृत्य	1	2	4
10. कार्य चिकित्सा	1	3	4
11. स्वस्ववृत्त	1	2	4
12. रोग निदान विकृति विज्ञान	1	2	4
13. मनोविज्ञान	1	2	4
14. शल्यतंत्र	1	2	4
15. शालाक्य	1	2	4
16. पंचकर्म	1	2	4

(i) स्नातकोत्तर अध्यापन में आबद्ध शिक्षक आवश्यक रूप से विषय विशेष में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में मान्य होगा।

(ii) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो अन्य विषयों के विशेषज्ञों से सहायता ली जाए।

(iii) चिकित्सीय विभाग में 20 गय्याओं पर एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाना जाना चाहिये।

स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए अर्हताएं

1. व्यक्ति को विषय में स्नातकोत्तर उपाधिधारक होना चाहिए।

2. प्राध्यापक पद के लिए उसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम का 7 वर्ष का अध्यापन अनुभव अपेक्षित होगा।

3. प्रवाचक (रीडर) के पद के लिए उगी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम का प्रवक्षता के रूप में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य है।

4. प्रवक्षता के पद के लिए व्यक्ति को किसी विश्वविद्यालय की मान्य स्नातकीय संस्था में उम विषय के तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव के साथ उम विषय में आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए।

मान्यता के मापदण्ड

किसी विश्वविद्यालय अथवा निकाय के द्वारा किसी भी संस्था में किसी भी विभाग में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की पंजीयति के बिना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से मान्यता प्राप्त करने से पूर्व निम्न मापदण्ड पूरा किया जाना है।

1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम केवल वहीं प्रारम्भ किया जा सकता है जहाँ पर स्नातकीय पाठ्य पहले से विद्यमान है।

2. संस्थान को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्नातकीय प्रशिक्षण के लिए तथा विहित न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करना चाहिये।

3. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सम्बन्धित विषय के लिए चिकित्सीय प्रशिक्षण, अनुसंधान की सुविधाएं, अध्यापकगण एवं उपकरण आदि की सुविधाएं।

4. संस्था स्नातकोत्तर छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा।

5. शिक्षक वर्ग के लिए निर्धारित अर्हता अनिवार्यतः पूरी होगी।

6. स्नातकोत्तर छात्रों को दाय छात्रवृत्ति और आकास्मिक निधि की सुविधा राज्य के चिकित्सीय स्नातकोत्तर छात्रों के समान हो।

7. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा पाठ्य-विधि और पाठ्यविवरण में विहित पाठ्य विवरण परीक्षा की संरचना तथा अन्य विषयों में संशोधन एवं परिवर्धन नहीं किया जा सकता।

राजकुमार जैन

सचिव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-58



## RESERVE BANK OF INDIA

## RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT

## CENTRAL OFFICE

Bombay-400023, the 26th June 1995

No. 1468/07.33.01-94/95.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of the Pondicherry State Co-operative Bank Ltd., in the Second Schedule to the said Act effective from 20 July 1995.

R. V. GUPTA, Dy. Governor

## INDUSTRIAL &amp; EXPORT CREDIT DEPARTMENT

Bombay-400 0023, the 13th May 1995

No. IECID, 10/08.15.01/94-95.—In exercise of the powers conferred by Section 45K of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary in the Public interest so to do, hereby directs that the "Non-banking Companies (Acceptance of Deposits through Commercial Paper) Directions 1989" (as amended) shall, with effect from the date of this notification be amended in the following manner, namely :

1. In paragraph 3, the existing sub-paragraph (d) shall be substituted by the following :

- (d) "cash credit component of working capital (fund-based) limit" shall mean the aggregate fund-based limits sanctioned by one or more banking companies in the form of cash credit limits including those by way of purchase/discount of bills for meeting working capital requirements, based on maximum permissible bank finance, but shall not include facilities such as letters of credit/ guarantees where there is no actual outlay of funds as well as credit limits sanctioned in the form of loans either for meeting working capital purposes or for acquisition of fixed assets/part of project financing.

2. In paragraphs 4 (ii), 7 and 11 (v) for the words "Working capital (fund-based) limit" the words "cash credit component of working capital (fund-based) limit" shall be substituted.

I. T. VAZ, Executive Director

## ALLAHABAD BANK

## HEAD OFFICE

Calcutta-700001, the 15th June 1995

Sl. No. HO/Legal/0279.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulation further to amend the Allahabad Bank (Officers') service Regulations, 1979.

Short title and commencement :

- (i) These Regulations may be called the Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulation, 1995.
- (ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication.
- (iii) Existing Regulation No. 49 (ii) may be substituted as follows :

## Text of Existing Provision

"49 (ii). During the joining time an officer shall be eligible to draw the emoluments at the place of the old or new postng whichever are less."

## Text of amended Regulation

"49 (ii). During the joining time an officer shall be eligible to draw the emoluments as applicable to the place of transfer."

Previous Notifications regarding amendment to Allahabad Bank (Officers') Service Regulations 1979 published in Part III Section IV of the Gazette of India on the following dates :—

- (1) 12-9-1987
- (2) 31-10-1987
- (3) 21-11-1987
- (4) 28-11-1987
- (5) 12-12-1987
- (6) 29-10-1988
- (7) 21-7-1990
- (8) 28-7-1990
- (9) 19-9-1992
- (10) 17-8-1993
- (11) 9-10-1993
- (12) 9-4-1994
- (13) 18-2-1995
- (14) 25-2-1995.

L. K. TIWARI, Chief Manager (Law)

The 16th June 1995

No. HO/Legal/0285.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Allahabad Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 1980 (hereinafter referred to as the principal regulations) namely :—

(1) These regulations may be called the Allahabad Bank Officer Employees' Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement (Amendment) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Regulation 4 of the principal regulations shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered and the proviso thereto, the following sub-regulation shall be inserted namely :—

"(2) Where an officer employee has applied for previous sanction to the Board or, as the case may be, to the competent authority under sub-regulation (1) the Board or the competent authority shall either permit the employee to take up employment in the private concern or refuse such permission after giving the employee an opportunity of being heard :

Provided that where the Board or the competent authority does not communicate its permission or refusal to the applicant within ninety days of the receipt of the application by it, the Board or the competent authority shall be deemed to have permitted the employee to take up employment in the private concern :

Provided further that where the Board or the competent authority has called for further information or clarification from the employee, the period taken by the employee in furnishing the required information or clarification shall be excluded for the purpose of computing the aforesaid period of ninety days."

L. K. TIWARI, Chief Manager, (Law)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS  
OF INDIA

New Delhi-110002, The 8th May, 1995

No. 3NCA (4)/2/94-95 ;—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (C) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of the prescribed fees, the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names;—

S. M.No. No.	Name & Address	Date of Removal
1. 13555	Shri Laxmi Narain Sardana 28, Lal Kuan, Delhi-110006.	1-10-93
2. 14859	Shri Suresh Chitkara A-1/6, Model Town, Delhi - 110009.	1-10-93
3. 17330	Shri Rajinder Kumar Director, Oswal Agro Mills Ltd., Sherpur G. T. Road, Ludhiana-141003.	1-10-93
4. 17650	Shri Subhash Chander J-39, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024.	1-10-91
5. 80814	Shri Krishan Kumar Badhwar C/o. R. K. Wadhavan, S-163, Greater Kailash-II, New Delhi-110048.	1-10-93
6. 85011	Shri Naresh Chandra Gupta, 575, DLF Colony, Rohtak-124001.	1-10-93

A. K. Majumdar  
Secretary

The 12th June 1995

No. 3NCA (5)/4/94-95 ;—With reference of this Institute's Notification Nos. 4CA (1)/15/70-71 dt. 30/1/70, 3NCA (4)/3/91-92 dt. 14/02/92, 3NCA (4)/4/92-93 dt. 11/01/93, 3NCA (4)/2/90-91 dt. 12/11/90, 3NCA (4)/2/93-94 dt. 07/03/94, 4CA (1)/20/77-78 dt. 13/02/78, 3ECA (4)/5/89-90 dt. 23/10/89, 3NCA (4)/9/85-86 dt. 31/03/86, 3CCA (4)/7/90-91 dt. 30/11/90, 3WCA (4)/3/93-94 dt. 31/12/93, 3ECA (4)/1/93-94 dt. 01-02-91, 3CCA (4)/6/91-92 dt. 26/12/91, 3NCA (4)/3/89-90 dt. 09-11-89, 3NCA (4)/8/92-93 dt. 23/03/93, 3NCA (4)/2/88-89 dt. 08-02-89, 3NCA (4)/10/83-84 dt. 31/03/84, 3NCA (4)/3/89-90 dt. 09-11-89, 3NCA (4)/6/91-92 dt. 11/03/92, 3NCA (4)/7/92-93 dt. 26/02/93, 3NCA(4)/5/92-93 dt. 29/01/93, 3NCA(4)/5/92-93 dt. 29/01/93, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, that in exercise of the power conferred by Regulations 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of the Member with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following persons ;—

S. M. No. No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3
1. 6961	Shri Victor Alexander, ACA G-69, Masjid Moth, Greater Kailash-III, New Delhi-110048.	02-03-95
2. 10154	Shri Harjit Singh Dugal, FCA Punjab & Sind Bank, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008.	03-01-95
3. 11375	Shri Swatantra Vijay Jain, FCA 3507 Lost Lake, Dr. King Wood TX-77339, USA	16-01-95
4. 10779	Shri Asit Kumar Sarkar, ACA Oil India Ltd., Duliajan (Assam)	21-03-95
5. 11788	Shri P. R. Srinivasan, ACA C-16, IInd Floor, Satnam House, 19 Sahar Road Pasi Wada, Andheri (East), Bombay-400099.	27-01-95
6. 12638	Shri Atma Prakash Goel, FCA 18, Gagan Vihar Vistar, Delhi-110051.	9-12-94
7. 14186	Shri Anand Mohan Mehra, ACA C/o. M/s. A.M. Mehra & Co., B-4, Chiragh Enclave, Opp. Nehru Place, New Delhi.	22-02-95
8. 15295	Shri Sudhir Rangnekar, FCA J. K. Synthetics Ltd., Ambadeep Eldg., 8th Floor, K. G. Marg, New Delhi-110001.	01-11-94

1	2	3	4	1	2	3	4
9.	15798	Shri Ashok Kumar Gupta, ACA D-116, Sector-55, Noida-201301.	02-02-96	22.	81070	Shri Vinod Kumar Beotra, FCA B-17, Badarpur Border Extn., New Delhi-110044.	20-03-95
10.	16700	Shri Vinay Kumar Gupta, ACA 1003, Indraprakash, Barakhamba Road, New Delhi-110001.	08-03-95	23.	81151	Shri Dhirander Kumar, FCA House No. 586, Sector-12, Panchkula-134109.	21-11-94
11.	20256	Shri M. Ramachandran, ACA F-1/11-D, MIG, Flats, Hari Nagar, New Delhi-110064.	28-03-95	24.	81184	Shri Vinod Kumar Boustra, FCA H. No. 140, Sector 9, Faridabad.	13-12-94
12.	21041	Shri Jagdish Chandra Joshi, FCA C/o. J. D. Pandey, 39, Keshav Road, Laxman Chowk, Dehradun-248 001.	22-03-95	26.	81252	Sh. Rajeev Shamlal, ACA K-Block, Chaudhary Bldg., Counaught Circus, New Delhi-110 001.	20-01-95
13.	23335	Shri Rajeev Behl, ACA Dy Manager (F & A), Instrumentation Ltd., 7th Floor, Core-6 Scope Complex Lodi Place, New Delhi-110003.	13-02-95	26.	81346	Shri Anil Kumar Jain, FCA 39-B, Ahinsa Vihar, 27/1, Sector IX, Rohini, Delhi-110085.	30-12-94
14.	31675	Shri Shashi Bhushan Shagla, ACA 562, Kailash Tower-III, East of Kailash, New Delhi-110063.	28-12-94	27.	81589	Shri Sat Prakash Gupta, ACA 8, G-29, Sector-3, Rohini, Delhi-110085.	13-03-95
15.	35780	Shri Khushroo Bori Colabavala, ACA Banque National De Paris, Hansalaya, 15 Barakhamba Road, New Delhi-110001.	17-02-95	28.	81774	Shri Rakesh Chandra, FCA Chamber No., 201, Chaudhary Complex, 9 Madhuban Road, Vikas Marg, Delhi-110092.	31-01-95
16.	53559	Shri Pradip Kumar Garodia, FCA Hari Preet Apts., 2nd Floor, 33/3,B, Anand Nagar Society, BFC Road, Vadodra-390 005.	01-10-93	29.	82189	Shri Satish Kumar, ACA 1214 Sector 22-B, Chandigarh.	10-03-95
17.	70659	Shri Sandip Choudhary, ACA C/o. Caglec India Ltd., UC-23, Sevika Towers, 6 Nehru Place, New Delhi-110019.	31-01-95	30.	82205	Shri Shubh Ashish Bali, ACA Deloitte Touche Tohmatsu International, 1633 Broadway, New York N. Y. 10019 USA.	24-01-95
18.	70701	Shri Ashok Haldia, ACA 57/3, Old Rajinder Nagar, IIrd Floor, New Delhi-110060.	09-01-95	31.	82265	Shri Anil Mehra, ACA C/o. Fair Flat No.13, IInd Floor, Front Block, Sagar Apts., 6 Tilak Marg., New Delhi-110001.	28-11-94
19.	71177	Shri Mahendra Pal Singh 57, Green Field, Model Town, Ludhiana-160059.	15-02-95	32.	82527	Shri Adarsh Sharma, FCA 10, Feroze Gandhi Road, Lajpat Nagar-III New Delhi-110024.	20-12-94
20.	80693	Shri Harjeet Singh, FCA Master Trust Ltd., 800 19, Feroze Gandhi Mkt., Ludhiana-141 001.	30-11-94	33.	82914	Shri Rajan Kapoor, FCA 334, Tejender Janna Tower-I, Plot No. 13, Community Centre, Wazirpur Indl. Area, Delhi-110052.	20-01-95
21.	80726	Shri Rajesh Kumar Nakrs, FCA S-95, Greater Kailash II, New Delhi-110048.	28-02-95	34.	82991	Shri Sudhir Kumar Jhanjee, FCA 2980/1, Ranjeet Nagar, New Delhi-110 008.	04-01-95
				35.	83020	Shri Vijay Singh Malik, FCA 10-B, Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi-110002.	30-12-94

1	2	3	4	1	2	3	4
36.	83138	Shri Girish Kumar Agarwal, FCA 9316, Gaushala Road, Kishan Ganj, Delhi-110006.	31-01-95	52.	88867	Shri Anurag Shah, ACA B-136, Preet Vihar, Delhi-110092.	31-01-95
37.	83249	Shri Dinesh Kumar Goel, FCA D-105, Gali No 5, Laxmi Nagar, Delhi-110092.	30-11-94	53.	90025	Mrs. Geeta Mathur, ACA C/o. ICICI Tower II, Jeevan Bharti Bldg., 124 Connaught Circus, New Delhi-110001.	11-01-95
38.	83950	Shri Anil Pal Dang, ACA J-134, RBI Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-110063.	17-01-95	54.	90938	Shri Sandeep Pahwa, ACA 4/73, Punjabi Bagh, New Delhi-110026.	12-01-95
39.	84033	Shata Nand Sharma, ACA 24, Baldev Park, Delhi-110051.	06-02-95	A.K. Majumdar Secy.			
40.	84623	Shri Rajinder Singh Bhalla, ACA KG-I/427, Vikaspuri, New Delhi-110018.	06-02-95	Bombay-400 005, the 3rd May 1995			
41.	84680	Shri Anand Parkash Sharma, ACA A-189, Moti Bagh-I, New Delhi-110021.	30-12-94	No. 3 WCA (4)10/94-95.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (c) of the sub-section (1) of section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of non- payment of the prescribed fees, with effect 5th December 1994, the name of the following person.....			
42.	84689	Shri Ashish Krishan Trisal, ACA 412-A, Pkt.-II, Mayur Vihar, Delhi-110021.	02-12-94	S. No. MRN Member Name & Address			
43.	84800	Shri Shailendra Nath Gupta, FCA J-12, Pranad Nagar, New Delhi-110005.	10-02-95	1 2 3			
44.	84821	Shri Anil Bansal, ACA 15-A, Kamla Nagar, Delhi-110007.	19-01-95	1	000753	Mr. Kanga Dara Nusserwanji C C I Chambers No 43Dinsha Wacha Rd Bombay-400 020.	
45.	85227	Shri N. P. Sadutahang, ACA C/o. Mr. T. Wangd, 10 Ring Road, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024.	13-02-95	2	004158	Mr. Sheth Rajababu Ambalal C/O M/S. J. K. Doshi & Co., Khetan Bhavan, 10, J. Tata Rd Bombay-400 020.	
46.	85969	Shri Dinesh Sood, ACA B-3/64, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.	01-02-95	3	011689	Mr. Trivedi Shashikant Punamch S. P. Trivedi & Co. 1327 Jada Bhagat's Pole Opp. Chhipa Pole Dariapur Ahmedabad-380 001.	
47.	86170	Shri Rakesh Garg, ACA H. No. 1152, Sector 18-C, Chandigarh-160018.	15-03-95	4	012033	Mr. Jhaveri Sharam Umabhi A/65 Silver Atlas 6th Floor Shanker Chanekar Marg Prabhadevi Dadar Bombay-400 028.	
48.	87272	Shri Gulshan Kumar, ACA 301, Onkar Deep, A-19, Middle Circle, Connaught Place, New Delhi-110001.	07-02-95	5	012086	Mr. Sualy Nalin Shivji N. S. Sualy & Co. Jessie House 137 Modi ST II Floor Bombay-400 001.	
49.	88114	Shri Rajiv Agarwal, ACA 4800, Ram Bazar Cloth Mkt., Delhi-110006.	25-01-95	6	012572	Mr. Bendale Liladhar Govind Geeta Apartments, Ashok Nagar R 48, Datar Colony Bhandup (E) Bombay-400 042.	
50.	88574	Shri Rajeev Chopra, ACA B-111, Double Storey, Ramesh Nagar, New Delhi-110015.	14-02-95	7	013548	Mr. Salgar Sharad Nagesh Tower Aluminium (Nigeria) 90 BA3 Blossom Military Rd Akoka Avenue P. O. Box-9 Ikeja Lagos Nigeria-0	
51.	88784	Shri Amanjit Singh, ACA H. No. 3067, Sector-37-D, Chandigarh.	01-02-95				

1	2	3	1	2	3
8	013777	Mr. Shabbir Husain C/O Allied Accountants P. O. Box 18366 Riyadh-11415 Saudi Arabia-0	23	025519	Mr. Parthasarthy V 13 Nayandeep Society Part II Behind Navyug College Rander Road Surat-395 009.
9	015045	Mr. Kotak Bhailal Kantilal A-6, Sahayog, RBI Society Eksar Road Borivli (West) Bombay-400 092.	24	025829	Mr. Kumar Y 305 Saraswati Coop J B Nagar Andheri East Bombay-400 059.
10	015418	Mr. Pandya Jyotindra Janakraz 307-66 Parkwoods Village Drive Donmills, Ontario Canada M3A2X6-0.	25	026147	Mr. Ramesh S. 602 B. Sanam Shanthipark Garodia Nagar Guatnkopar Bombay-400 077.
11	015815	Mr. Zaveri Divyakant Ramaniklal 103 Poonam Apt R C Dutt Rd. Alkapuri Baroda-390 005.	26	026348	Mr. Venkataramanan A. Flat No. 1, Gurukripa Apartment N. C. Kelkar Road Dadar West Bombay-400 028.
12	016320	Mr. Bhujwala Minoo Navaraji 4840 Golfview Court Charlitta N. C. 028212-0.	27	026596	Mr. Netravali Gurunath Shankar B/26 Dattani Park Co. op. SHG. SOC, Western Express Highway Borivli (E) Bombay-400 066.
13	017838	Mr. Vora Anwarhusam Abdulkadar Vorawad NR. Vora Musjid Dist Junagadh Mangrol-362 225	28	026731	Mr. Srikanth G. Sr. Finance Executive Vs. Dempo Co. Dempo House Campal Campal Goa-430 001.
14	020820	Mr. Ravishankar Alladi 31, Mangalya 93, Balgobindas Road Mahim Bombay-400 016.	29	027562	Mr. Balasubramaniam R. Sr. Officer AC., Reliance Ind. Ltd. No. 83 Movie Tower, B/H Lokhandw Complex, Yamuna Nagar, Andheri (W) Bombay-400 058.
15	021638	Mr. Rajagopal 14, First Floor Yogiswamy Society 100 FT Road Anand-388 001.	30	028234	Mr. Karuna Kumar S. N. S. K. Gas Authority of India Ltd. Darpan Bldg R. C. Dutt Road Baroda-0.
16	021851	Ms. Chithkala G C/O Smt. C. Mahadewan A/2/1/31 Nabard Park, Khbra NA S. V. Road, Santacruz (W) Bombay-400 054.	31	028608	Mr. Anto M. P. C-42, Mahindra & Mahindra HSG Society, Sree Krishna Nagar Borivli-E, Bombay-400 066.
17	021930	Mr. Muthukumar B. Asstt. Manager Syndicate Bank, Flat 105, Soham Ramabaug Colony, 'O' Lane Kalyan-421 304.	32	029148	Mr. Ananth Shenoy Citi Bank N. A. Sakhar Bhavan 1 Floor Nariman Point 230 Backbay Reclamation Bombay-400 021.
18	022093	Ms. Saraswathi Hariharan Flat No. 4 Thapan House Temple Civil Lines Nagpur-440 001.	33	029358	Mr. Sri Dharan R. Flat L No. 404, Gemini Bldg. A Wing, Lower Kharodi, Marve Road, Malad (W) Bombay-400 095.
19	023692	Ms. Smriti Rekha Jayakar Bharat Heavy Electricals Ltd. Electrical Machine Repair Plant Lot No. D-1, Cross Road C MIDC, and Bombay-400 093.	34	030824	Mr. Narayanan K. I. C-42, Pandurang A. B. Nair Road Juhu Bombay-400 049.
20	023794	Mr. Gandhi Om Prakash Soma Textile & Industrial Ltd. Rakhyal Road Ahmedabad-380 023.	35	031181	Mr. Shobhan T. Parikh Flat No. 106, Ashoka Apts., Rungta Lane, 68 Nepean Sea Road Bombay-400 026.
21	024708	Mr. Frederick A W Soans Room 106 YMCA Central Branch 122 N Parekh Marg Bombay-400 039.	36	031793	Mr. Rao Adithan Prakash Flat No. 11 Mohit Park Lullan Nagar Pune-411040.
22	024812	Mr. Luxminarayanan S C/O Mr. Sunjoo Thaveri 171 Enterprise Forjet Hill Bombay-400 036.	37	032837	Mr. Sanghavi Kamlesh Ramniklal K. R. Sanghavi & Co. Fine Mansion II Floor 203 Dr. D. N. Road Fort Bombay-400 001.

1	2	3	1	2	3
38	032971	Mr. Shetty Ramesh Muddu 20/4 Tardeo A/C Market Tardco Bombay-400 034.	53	037867	Mr. Almeida Thomas Lawrence Naughar Opp. Post Office Vasai Road Thane 401 202.
39	033418	Mr. Shah Anil D M Post Box No. 11092 Nairobi Kenya-0.	54	039161	Mr. Nawab Mohammedzahed Abubakar Surun A/4, Kismat Colony Ajwa Road Baroda-390 019.
40	038408	Ms. Verma Anuradha Anuradha 7 Associates Sukh Sagars, 12 Basement Hughes Road Bombay-400 007.	55	040751	Mr. Jain Paras Chhotalal B/7, Karmayoga Pipperment Compound L. B. S. Marg Bhandup Bombay-400 078.
41	039996	Mr. Krishan Ramachandran V Sankar Aiyar & Co 2-C Court Chambers 35 New Marine Lines Bombay-400 020.	56	042971	Mr. Mehta Jitendra Navinohandra B-1, Sagar Swapna Nagar Near Model Town Mulnd (West) Bombay-400 080.
42	040368	Mr. Porwal Himanshu Jeetmal 20/77 Yashwant Nagar Goregaon West Bombay-400 062.	57	043111	Mr. Rajagopalan T. Flat No. 41, Bldg. No. 67A, Brindaban Thane (West) Thane 400 601.
43	042341	Mr. Saletore Kishore Mukund 13/7 Saraswat Colony Santacruz W, Bombay-400 054.	58	043125	Mr. Murthy Ponnuri Prabhat 8, Minaxi Swastik Park Chembur Bombay-400 071.
44	044319	Mr. Yazdi Keki Khapoliwala Y. K. Khapoliwala & Co. Muncher Manzil 'B' Block I Fl. 35/C Jairajbhai Lane Bombay-400 008.	59	045065	Ms. Reet Bharat Shai 11/169 Sardar Nagar No. 4 Sion Koliwada Bombay-400 037.
45	045936	Mr. Joshi Vasant Balwant Anagha, Flat No. 3 Alkapuri Society Kothrud Pune-411 029.	60	045494	Mr. Satara Harish Kumar Dawaji G/2, Dwarkanath Co-op. MSG, Society Gopal Nagar Road No. 2 Dist. Thane Dombivli (East) Dombivli 421 201.
46	045949	Mr. Goyal Dayakrishna 402-C 3, Sector & Shanti Nagar Dis' Thane Mira Road-401 107.	61	046360	Mr. Jani Sunil D-2/8, Deep Shikhar Society Sunder Nagar Malad (West) Bombay-400 064.
47	046176	Mr. Kapadia Khozema Akbarali 1/16-A, Vohra Colony Kandivli West Bombay-400 067.	62	047056	Mr. Cavli Rajesh Hiralal H. No. 129, Sadar Bazar Devlali Camp Dist. Nashik Nashik 422 401.
48	047199	Mr. Kudav Kamlesh Vinod A/3 Choksey Bldg. Gamdevi Road Bombay-400 007.	63	047874	Mr. Bhalani Navneet Kumar Vallabhdas Sheth V. M. Kapol Hostel Khushaldas Parekh Marg Matunga (C.R.) Bombay-400 019.
49	047200	Mr. Somani Prashant D 3-74 Green Fields Mahakali Caves Road Andheri East Bombay-400 093.	64	031386	Mr. M. V. Ramanarayan 56, Apollo Industrial Estate Off. Mahakali Caves Road Andheri (E) Bombay 400 093.
50	070111	Mr. Jyoti Prakash 3C/101, Damodar Park L. B. S. Marg Ghatkopar (W) Bombay-400 086.			
51	026502	Mr. Sriram Chander 12 N Dilwara 8, Maharshi Karve Road Cooperage Bombay-400 021.			
52	032467	Mr. Talekar Vijay Rajaram 8 C-16/5, Jeevan Bima Nagar Taruban Shobha Society Borivli (West) Bombay-400 092.			

A. K. MAJUMDAR, Secy.

Dated the 4th May, 1995

No. 3WCA(4) 11/94-95—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (4) of the sub-section (i) of 20 of the Chartered Accountants Acts, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect

from the date mentioned against their names the names of the following person. ;

## (CHARTERED ACCOUNTANTS)

Dated the 27th May, 1995

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1.	000124	Mr. Mankeshwar Krishna Khanderao K. K. Mankeshwar & Co., Kingsway, Nagpur.	16-1-94
2.	000799	Mr. Patel Bhailal Haribhai M/S B. H. Patel & Co. 6 & 7 Shivsagar, 5th Shivaji Park Road, Bombay-400196.	23-12-94
3.	009146	Mr. Desai Narendra Nanubhai Narendra N. Desai & Co., 10, Bharat House 2nd Floor, 106 Bombay Samachar Marg, Fort, Bombay-400001.	26-7-94
4.	035437	Mr. Ramnath V. Chandbhoy & Jassoobhoy Kamanwala Chambers, Sir P. M. Road, Fort, Bombay-400 001.	16-01-95
5.	039152	Mr. Apte Rajendra Chandra- shekhar, Darbari 403 Sadhu Waswani Nagar Aundh, Pune-411 007	3-08-96

A. K. MAJUMDAR, Secy

Dated the 5th May, 1995.  
(Chartered Accountants)

No. 3ECA/8/6/94-95—In pursuance of Regulation 10(i) (iv) read with Regulation 10 (2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled from the dates mentioned against their names as they have not paid their annual fee for certificate of practice.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1.	051371	Mr. Sengupta Aniruddha, ACA, 10 Nagendra Narayan Dutta Road, Flat No. 2, Block No. 4, Calcutta-700040	1-01-93
2.	087217	Murali Kalyanaraman ACA Flat No. 403, Kalimati Apartments, 24/4 Alipur Road, Calcutta-700027.	1-10-93

A. K. MAJUMDAR, Secy.

No. 3 ECA/8/6/94-95—In pursuance of Regulation 10 (i) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	003755	Mr. Haldar Nirupam FCA P. 49 C. J. T., Road Scheme-VI(M) Calcutta-700 054	25-03-95
2.	007432	Mr. Dutta Atindra Prasad FCA 88 Dr. Sundari Mohan Avenue Calcutta-700 014	01-04-95
3.	008864	Mr. Surana Babu Lal FCA, 71-A/2, Alipore Road, Calcutta-7000 27	23-12-94
4.	011897	Mr. Birmecha Baboolal FCA Birmecha & Co., 36A Bentinck Street, 1st Floor, Calcutta-700 069	25-01-95
5.	013136	Mr. Gangopadhyay Pankaj Kumar, FCA, 9 Mangoe Lane 1st Floor, Calcutta-700 001	20-09-93
6.	015031	Mr. Nahata Sagar Mal FCA M/s. S. M. Nahata & Co., 2 Clive Ghat Street, Sagar Estate, 2nd Floor, Calcutta-700 001	25-01-95
7.	015367	Mr. Ghosh Subrata FCA, 78 Chetla Road, Dipanwita Flat No. W2/7, Calcutta-700 027.	19-01-95
8.	017175	Mr. Nahata Hathi Mal, FCA A-410, Bagree Market, 71, B. R. B. Basu Road, Calcutta-700 001	23-12-94
9.	051294	Mr. Sett Vivek FCA 1 Wood Street, Flat No. 303, 3rd Floor, Calcutta-700 016	01-04-95
10.	051328	Mr. Dasgupta Arup ACA, 7 Middle Road, Kalianibas, Barrackpur, 24-Parganas (N) Nonachandaan Pukur-0	10-08-94

1	2	3	4	1	2	3	4
11.	051757	Mr. Seksaria Krishna Kumar FCA K. K. Seksaria & Co., 58D Netaji Subhas Road, 4th Floor, Calcutta-700 001	29-01-95	23.	055332	Mr. Gupta Sanjay Kumar ACA C/O Paragon Finance & Plywood Industries Ltd., 135A, C. R. Avenue, 2nd Floor, R. No. 15, Calcutta-700 007.	20-02-95
12.	051773	Mr. Goenka Arun Kumar FCA 8, Lyons Range, 5th Floor, Calcutta-700 001	16-03-95	24.	055622	Mr. Patni Mahendra Kumar ACA 9 India Exchange Place, 4th Floor R. No. 7 Calcutta-700 001	19-01-95
13.	051885	Mr. Jagatramka Arun Kumar FCA, Arun Kumar & Co. 1 Clyde Row Hastings, Calcutta-700 022	19-10-94	25.	056063	Mr. Mohata Giriraj Kumar ACA 62A Kali Krishna Tagore Street, Calcutta-700 007	12-2-94
14.	051966	Mr. Mukherjee Rajib Kumar FCA HIT Scheme 5, Type 4, Block A, Flat 2 Central Park, Belepole, Howrah-711 104.	08-07-93	26.	056126	Mr. Devarakonda Ananda Kumar ACA QR No. G-18-A, New Colony, Jatni-752050	10-03-95
15.	052841	Mr. Shah Sunil FCA C/o Rameshwar Dass Mahliram P-11, Chitpur Spur, Calcutta-700 007	05-12-94	27.	056194	Mr. Lal Ajay Kumar ACA Room No. 302, 3rd Floor, 41, Netaji Subhash Road, Calcutta-700 001	01-03-95
16.	053130	Mr. Nanda Mohan Kumar FCA, A/M-20, V S. S. Nagar, Bhubaneswar-751 004	24-10-94	28.	056516	Mr. Mukhopadhyay Subrata ACA 72/B, Balam Dey Street, Calcutta-700 006.	01-02-95
17.	054165	Mr. Sethia Prakash Kumar, FCA Chopra House, 133 Canning Street, Room No. 15, 3rd Floor, Calcutta-700 001	01-03-95	29.	056720	Mr. Niyogi Amitabha ACA A-9 Government Quarters Dr. Sundari Mohan Avenue Calcutta-700 014.	08-03-95
18.	054566	Mr. Das Gupta Partha FCA Falugni 58/8 Barikpara Road, P. O. Behala, Calcutta-700 034	01-04-95	30.	082796	Mr. Kankaria Rajesh Kumar FCA 33 Brabourne Road, 5th Floor, Calcutta-700 001	27-02-95
19.	054582	Mr. Gupta Shyam Sunder ACA G. No. 1960, Type B Sector E, Berkhera, B.H.E.L., Bhopal-462 021.	01-04-95	31.	051658	Mr. Das Tarun Kumar ACA Om Agarwal & Associates, 24 R. N. Mukherjee Road, 3rd Floor, Calcutta-700 001	31-03-95
20.	054650	Mr. Jain Pawan FCA Jain Pawan & Associates Ganesh Market, 3rd Floor, 305 58/D Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001.	20-03-95	32.	054370	Mr. Agarwal Girdhari Lal FCA Manager H. O. & Dy. Secretary Shree Baidyanath Ayurved Bhawan, 1 Gupta Lane, Calcutta-700 006.	31-03-95
21.	054967	Mr. Roychowdhury Anindya ACA Falat 4SW, Sarobar, 102 Southern Avenue, Calcutta-700 029	16-07-93	33.	054689	Mr. Mukhopadhyay Alokc Kumar, ACA Vill. Baduria, Dt. 24-Parganas North, Baduria-743 401	15-03-95
22.	055133	Mr. Bihani Chandra Kishor ACA C/O G. S. Rathi B 12/8 Karunamoyee Estate, Salt Lake, Calcutta-700 091	07-01-95	34.	056557	Mr. Bhattacharyay Avijit ACA 21/8, Phalguni Abasan, Sector-III, Salt Lake, Calcutta-700 091.	01-12-94
				35.	056895	Mrs. Chowdhury Sushama ACA 5E Jayjayanti Apartment 2A Mandeville Gardens Calcutta-700 019.	31-03-95

A. K. MAZUMDAR,  
Secy.



Madras-600 034, the 10th May 1995

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3SCA(5)/11/94-95 - With reference to this Institute's Notification No. 3SCA(4)/4/94-95 dated 22nd February 1995 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from 5th December 1994, the names of the following persons :

Sl. No.	MRN	Members Name & Address
1	2	3
1	008348	Mr. Vaidyanathan R. ACA No. 13, Ganapathy Colony, I Floor Opp. Cenetoph Road, II Lane Madras-600 018.
2	018632	Mr. Rajendra Nambiar K. T. ACA C/O Nepal Project Office I. T. C. Ltd. Makinnon Mackenzie Building 16 Strand Road Calcutta.
3	020401	Mr. Suresh K. ACA Chartered Accountant 15/3 Oliver Road Mylapore Madras-600 004.
4.	020621	Ms. Elizabeth Cherian FCA 19 Wallace Garden II Street Madras-600 006.
5	020879	Mr. Seshadri C. S. FCA 267 11 Cross Wilson Gardens Bangalore-560 027.
6	020959	Mr. Sundaresan V. FCA 1880 7A Main Road F Block Rajaji Nagar II Stage Bangalore-560 010.
7	021264	Mr. Ananda Kumar K. ACA 763 Anna Salai Madras-600 002.
8	022129	Mr. Nanda Kumar C. FCA Chartered Accountant 882, 7th Block, II Phase Banashankari III Stage Bangalore-560 085.
9	022857	Mr. Suresh P. FCA Chartered Accountant No. 2, Chirakkal Buildings Tirun-676 104.
10	023029	Mr. Dayakara Reddy N. FCA Chartered Accountant 1st Floor T. Dayakara Reddy Building Aurobindo Nagar Nellore-524 003
11	023399	Mr. Subbiah R. ACA P.O. Box No. 670043 Mazabuka Zambia.
12	024144	Mr. Sreekanth T. A. ACA Sreekalanya Punkunnam Trichur 680 002
13	024242	Mr. Derek Joseph D. Mello FCA 1/6 Lovelock Avenue MT. Eden Auckland New Zealand
14	024273	Msft Rajita Reddy S. ACA 1-2-288/6/4 Domalguda Hyderabad-500 029.

1	2	3
15	024505	Mr. Subair N. K. ACA P.O. Box 6600 Fal Oil Co. Limited Sharjah U.A.E.
16	024922	Mr. Rajan S. ACA C/o Alagendran Finance & Leasing Co. Ltd. 182 D North Veli Street Madurai-625 001.
17	025040	Mr. Rengarajan S. ACA Chief Accountant C/O Muscat Overseas Oil & Gas P.O. Box No. 656 Postal 112 Musc Sultanate of Oman.
18	025610	Mr. Gollapudi Visweswara Rao FCA Chartered Accountant Ambal Building II Floor 727 Mount Road Madras-600 006
19	025639	Mr. Sankaranarayanan V. ACA Chartered Accountant Srinidhi 556 K. K. Nagar Madurai 625 020.
20	026271	Mr. Ompakash K. ACA Chartered Accountant (('Adarss' Karaparamba Kozhikode-673 010
21	026467	Mr. Ramakrishna V. ACA Chartered Accountant A-10 'Soujanya' Apurupa Township Jeedimeta Hyderabad-500 855.
22	026610	Mr. Ganpathy Raman K. ACA Inara Co. Ltd., Riyadh P.O. Box 8326 Riyadh 11482 K. S. A.
23	026649	Mr. Anjaneyulu P. ACA Senior Manager (Accounts) Sree Bleaching Chemicals (P) Ltd. 40/304 Bhagya Nagar Kurnool-518 004.
24	026735	Mr. Sankara Rao Y ACA Chartered Accountant 36-13-3 San'hi Nagar Mogahajapuram Vijayawada-520 010.
25	027303	Mr. Murali N. ACA No. 1243 Vijina Pura A Block Behind K. R. Puram Railway Station Bangalore-560 016.
26	027396	Mr. Syed Feroze Peer FCA Chartered Accountant B 203 V. R. Apartments 11-4-634 A. C. Guards Hyderabad-500 004.
27	027786	Ms. Bhanumathy N. ACA Plot 54 12th Street Sector II K. K. Nagar Madras-600 078.
28	028236	Mr. Satyanarayana K. ACA Finance Manager Capol Chirala-523-165.

1	2	3	1	2	3
29	028284	Mr. Hari R. ACA P-53 7th Main Sector 10 L.I.C. Colony Bangalore-560 075.	43	202387	Mr. Zakkir Hussain P. K. ACA "Pratheeksha" Malappuram District Eramangalam-679 587.
30	028320	Mr. Natarajan K. ACA "R. A. K. Illam" Plot No. 94, 4th Main Road Sri Ayyappa Nagar Madras-600 111.	44	202443	Mr. Venkata Ramana Meka ACA 12-12-204 Ravindra Nagar Secclaphalmandi Secunderabad-500 361.
31	028681	Mr. Raja Manickam K. G. ACA 25M JLN Thambi Abdullah Satu Satu 50470 Kuala Lumpur Malaysia	45	203088	Mr. Ramesh J. ACA Asstt. Manager—Internal Audit Vewnkateswara Hatcheries Ltd. 9th Floor, 'C' Wing Mittal Towers Bangalore.
32	029163	Mr. Rao Kishan A ACA No. 6, Ronnie Manor Arya Samaj Road Balmatta Mangalore-575 003.	46	203195	Mr. Selva Ganesan P. ACA 8 Hanumar Koil Street West Mambalam Madras-600 033.
33	029192	Mr. Kothuri Sreenivasa Rao ACA Chartered Accountant Room No. 23, Sri Vasavi Market Bandala Bazar Guntur-522 003.	47	002496	Mr. Balasubramanian Srinivasa FCA 1005, V. M. Street Mylapore Madras-600 004.
34	029596	Mr. Ramakrishna Reddy R. ACA Chartered Accountant 7/4/1 II Floor, V Block 59th Cross Near Bhashyam Circle Bangalore-560 010.	48	007173	Mr. Subbarayan B. V. FCA Chartered Accountant 33 Krishnasing Lane Ulsoorpet Bangalore-560 002.
35	029630	Mr. Rashmi R. Parekh ACA Chartered Accountant 311 Rajendra Apartments 158, Bareach Road Kellys Madras-600 010.	49	018838	Mr. Abdulraheem C. H. FCA Chartered Accountant 2/171 Edappally Cochin-682024.
36	029810	Mr. Shivsunder G. ACA Plot No. 211 Sripuram Colony Hyderabad 500 036.	50	019156	Mr. Yugandhara Rao Meka, FCA 6-1-68/2, Saifabad Hyderabad-500 004.
37	073055	Mr. Srinivas Chitta ACA 1-2-2 88/17 Domalguda Hyderabad-500 029.	51	019245	Mr. Palani Batcha S. FCA Chartered Accountant 8 Vvasar Street T, Nagar Madras 600 017.
38	200419	Mr. Prabhudev I. ACA Chartered Accountant 332 5th Main West of Chord Road II Stage Mahalshampuram Bangalore-560 086.	52	019536	Mr. Sanka Rajagopul ACA Manager (Operations) Andhra Bank Guntur Main Branch Lakshmpuram Main Road, Guntur 522 007.
39	200472	Mr. Viswanathan S. ACA Block 'C' 2, No. 3 Kuppliah Street Raj Apartments Madras-600 033.	53	019688	Mr. Ravi M. ACA Chartered Accountant Sheel Markets (ME) Ltd. P.O. Box 307 Dubai U. A. E.
40	201289	Mr. Ramesh Babu V ACA Chartered Accountant 17 Vel Nagar (Near D. A. V. School) Adambakkam Madras-600 088.	54	020106	Mr. Partha Sarathy G. FCA Chartered Accountant No. 4 Alamelumangapuram Mylapore Madras-600 004.
41	201369	Mr. Prabhakaran S. ACA No. 48/7 First Cross Cambridge Layout Ulsoor Bangalore-560 008.	55	020265	Mr. Venkatesh S. ACA Chartered Accountant 52/B III Cross Journalist Colony Bangalore-560 002.
42	201640	Mr. Ravi N. ACA Chartered Accountant 114-K 266 Mount Road Madras-600 018.	56	020655	Mr. Lakshmana Rao M. ACA 307 Penny Street Garner N C 27529 U.S.A.
			57	021291	Mr. Antony Joseph FCA Thekkekuttiu Edathumparampu Ponkunnah-686 506.
			58	021489	Mr. Padmanabhan C. K. FCA Chartered Accountant K. V. R. Complex (Upstairs) Near R. K. Hospital Nethaji Bye Pass Road Dharmapuri-636 701

1	2	3	1	2	3
59	021754	Mr. Ayyaswamy C. ACA Chartered Accountant 312 Areisa Corner Sector 17 Vashi. New Bombay-400 705.	73	028219	Mr. Arun Kumar R. FCA Chartered Accountant Plot No. 180 Chinthamani Street Alwar Thirunagar Madras-600 087.
60	023147	Mr. Sheshaigri K. V. FCA Chartered Accountant 735 Oppanakara Street III Floor Coimbatore-641 001.	74	028306	Mr. Venkatesh S. ACA B6 D28 Ajakoy Istanbul Turkey
61	023638	Mr. Ammangi U. G. ACA Chartered Accountant 1938, Kadalkar Galli Karnataka State Belgaum-590 002.	75	028372	Mr. Sumanth R. S. ACA Chief Accountant Modern Poultry Farms Co. Coag Post Box 2598 Postal Code 112 Sultanate of Oman.
62	024300	Mr. Raghavan M. V. FCA Chartered Accountant No. 10 Kalaimagal Street 4th Cross Gandhi Nagar Teachers Colony Madras-600 051.	76	029228	Mr. Alavala Koti Reddy ACA Light-I-59 Uday Nagar New B. K. Guda Hyderabad-500 038.
63	025032	Mr. Thiruthuva Doss W. A. P. FCA Chartered Accountant 672/Penial Complex R. T. O. Road Phase II Sathuvachari Vellore-632 009.	77	029345	Ms. Uma Devi K. ACA 3-B Saradha 3-A Warren Road Mylapore Madras-600 004.
64	026298	Mr. Jayasankar R. FCA Chartered Accountant JVL Arcade III Floor 199 North Usman Road T. Nagar Madras-600 017.	78	029457	Mr. Jeyendran N. ACA Chartered Accountant 21-B Gulmohar Apts. 15-C South Boag Road T. Nagar Madras-600 017.
65	027037	Ms. Janani Radhakrishnan FCA Chartered Accountant 'Dwaraka' 87 VI Main Road Malleswaram Bangalore-560 055.	78	029612	Mr. Govindarajulu P. ACA Chartered Accountant J-161, II Floor, Auto Towers No. 9, J. C. Road Bangalore-560 002.
66	027174	Ms. Sujatha Sudarshan ACA 139/6-1, Domlur Extension Bangalore-560 071	80	029800	Ms. Tadikonda Subha Lakshmi ACA 1-10-157 Ashok Nagar Hyderabad-500 029
67	027460	Mr. Ajith Kumar K. A. P. Centre R. S. Road, Alwaye.	81	031197	Mr. Kannan M. ACA Chartered Accountant 20 Norton Apartments Norton Road Mandaveli Madras-600 028.
68	027599	Mr. Varadarajan S. ACA Chartered Accountant General Manager (Finance) Bull Power Systems (P) Ltd. 6-3-347/1/A Dwarakapuri Colony Hyderabad-500482.	82	036508	Mr. Mani G. C. S. ACA Chartered Accountant Flat No. 111 Vijaya Mansion 1st Main 2ndn Stage Rd. Layout Vijaya Nagar Bangalore-560 040.
69	027957	Mr. Vaidhyanathan R. ACA Chartered Accountant 147 Bells Road Triplicane Madras-600 005.	83	038239	Mr. Kuriakose K. P. ACA C/O Britannia Industries Limited M. T. H. Road Padi Madras 600 050.
70	027992	Mr. Guidhar S. V. ACA Ernst & Young P.O. Box No. 140 Manama Bahrain	84	039996	Mr. Krishnan Ramachandran ACA 9/22 Zenita Flats T. M. M. Street Vannaudurai Thiruvaniyur Madras-600 041.
71	028161	Mr. Mathew Vaghese ACA Managing Director O/E/N Micro Systems Limited Kannankulangara Tripunithura-682 301.	85	041134	Mr. Koppikar Yogin Mohan ACA Chartered Accountant B-3 Krishna Leela 29, 8th Main Road Malleswaram Bangalore-560 003.
72	028176	Mr. Venkateshwara Rao N. ACA Chartered Accountant D. No. 14, III Floor Unity House, Abids Hyderabad-500 001.	86	050079	Mr. Brahmdeo Prasad Gupta ACA Dy. General Manager (Finance) ITI Ltd. C-2126 South Avenue I. T. I. Colony Doorvani Nagar Bangalore-560 016.

2	3	with effect from the dates mentioned against their names the names of the following persons:	
		S. No.	MRN Member Name & Address Rest. Date
87	050205	Mr. Bindra Deepak Raj ACA Quest International India Divis.on of Ponds (I) Ltd. Plot No. 6 Saki Vihar Road Saki Bombay-400 072.	1. 018249 Mr. Gopalswami K. ACA C/o AL REEF LLC P.B. No. 418 Madiwat Qabsoos Postal Code 115 Sultanate of Oman 13-03-95
88	086067	Mr. China Venkata Chainulu Viswanadh FCA Chartered Accountant 7-1-28/4/5 Amceerpet Hyderabad-500 016.	2. 018984 Mr. Gopala Desikan R. ACA 26 Sri Kamadhenu Nagar Avaram Talayam Coimbatore 641 006 10-03-95
89	087199	Mr. Amit Kumar Gandhi ACA Manager—Citi Bank NA 5th Floor Shakthi Towers 768 Anna Salai Manager—Citi Bank NA	3. 024225 Mr. Sivutamakrishnan R ACA C/o Dr. T.R. Subramaniam 90 Third Street Tatabad Coimbatore 641 012. 27-03-95
90	200295	Mr. Kumar S. ACA No. 2 Govt. College Education Campus Qtrs., Teachers College Saidapet. Madras-600015.	4. 028502 Mr. George K. Varghese ACA Alappat House Uranaltukar P.O. Opp. Adat Panchayat Office Trichur 680 551 01-03-95
91	200636	Mr. Phaninder Nath P. S. ACA Chartered Accountant Plot No. 61 Avanthinagar Bashcerbagh Hyderabad-500 029.	5. 029036 Mr. Govindaraj J. ACA 248 Mount Road, Madras-600 006. 24-03-95
92	201195	Mr. Suryanarayana P. ACA Chartered Accountant C/O P. S. Bhagavanulu 18-82/4C Plot No. 215 Hanumanpet Malkajgiri Hyderabad-500 047.	6. 039361 Ms. Geeta Ramakrishnan Iyer, ACA B-3 Grindlays Garden 1 Haddows Road, Madras 600 002. 10-01-95
93	201599	Mr. Ananthapadmanabhan G. ACA F-3 S. S. Flats No. 14 Gandhinagar 2nd Crescent Park Road Adyar Madras-600 020.	7. 044417 Ms. Rama P. ACA Flat No. 301 Balaji A Apartments Anand Nagar Khairatabad, Hyderabad 500 004. 24-11-94
94	202383	Mr. Bhargava Siram L. P. L. N. ACA 2-12-23 Urvasi Building Gandhi Nagar Tenali-522 201.	8. 053262 Mr. Epati Krishna Mohan, ACA Reading & Bates Exploration Co. Bhawani Mansion II Floor 3rd 4th Lane Nungambakkam High Road, Madras 600 034. 20-03-95
95	202663	Mr. Gopalakrishna Gupta E. S. ACA Chartered Accountant 283 9th Main Road 2nd Cross Hanumanthanagar Bangalore-560 019.	9. 071370 Mr. Mahendra Kumar, ACA C/o Madan Singhji Rathore 5/17 Chopasni Housing Board 5th Pulla Jodhpur Rajasthan. 05-01-95
96	202847	Mr. Gopinath Krishnan ACA 8/1 Sultan Palaya 1st Main R. T. Nagar P.O. Bangalore-560 032.	

A. K. MAJUMDAR  
Secretary

A.K.MAJUMDAR  
Secretary

The 22nd May 1995  
(Chartered Accountants)

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS  
OF INDIA

Calcutta-700 016, the 26th May 1995

No. 3SCA(5)/12/94-95.—With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA(4)/3/93-94 dated 11th Jan. 1994 3SCA(4)/3/92-93 dated 27th Nov. 1992 3WCA(4)/5/ 92-93 dated 1st Dec. 1992 and 3WCA(4)/3/93-94 dated 2nd Dec. 1993 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members

No. 11-CWR (148-150) 95.—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulation, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri Om Prakash Gupta, BCOM, MA, LLB, AICWA, BM-23, (Poorvi) Shalimar Bagh, Delhi-110052 (Membership No. 1522) is cancelled from 6th March 1995 to 30th June 1995 at his own request (2) Shri T. S. Nagasundaram, MA, MSC, FICWA, 99, Fourth Cross, Arakere Mico Layout, Bannerghatta Road,

Bangalore 560076 (Membership No. 3606), is cancelled from 8th April 1995 to 30th June 1995, at his own request, and (3) Shri Adinath Banerjee, BSC, FCS, AICWA P-130, Lake Terrace, Calcutta 700029 (Membership No. 4265) is cancelled from 19th May 1995 to 30th June 1995, at his own request.

S. R. ACHARYYA, Secy.

No. 16-CWR (1189-1192)/95.—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri Bijan Bihari Bhaumik, BSc, AICWA, Udayachal 204/D, Biren Roy Road East, Calcutta-700008 (Membership No. 1708), with effect from 27th January 1995 (2) Shri N. Suryanarayanan MA, AICWA, 58, Ganapathi Iyer Gardens Colony, Thiruvanaikoil, Tiruchirapalli-620005 (Membership No. 5822) with effect from 5th January 1995 (3) Shri P. Raman, BCOM, FICWA, House No. 438, Krishna Kumbhacherry Mukh, Cochin-682022 (Membership No. 1015) with effect from 4th March 1995 and (4) Shri Swapan Kumar Ray, BSc, AICWA, 3-3-1-N, Putiari, Banerjee Para Road, Calcutta-700041 (Membership No. 5277) with effect from 18th March 1995, on account of death.

S. R. ACHARYYA, Secy.

No. 18-CWR (299)/95.—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the name of Shri R. Sethuraman, BCOM, AICWA, A-4, 'Krishna' Plot 17C, Bangur Nagar Goregaon (W), Bombay-400090 (Membership No. 3378) with effect from 7th April 1995.

S. R. ACHARYYA, Secy.

#### EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 31st May 1995

No. N-15/13/1/1/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The area falling within the limits of Junkampet revenue village of Yedpally mandal of Nizamabad Dist".

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/5/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas falling within the revenue Village of Chabolu in Nandyal Mandal of Kurnool Dist."

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/9/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas falling within the limits or revenue Villages of Raigiri, Jammapur and Anantaram in Bhongir Mandal of Nalgonda District."

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/12/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas falling within the revenue Villages of Boduppall, Pitzadiguda, Medpally, Miapur and Gulmaliguda of Uppal Mandal of R. R. Dist."

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/13/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas falling within the revenue Villages of Veeravaram, Jegurupadu in addition to the hamlet of Madhavaraidu mandem, where the ESI Scheme is already in force and Damireddypalli in Kadiyam, Mandal of East Godavari District".

S. N. TIWARI, Director (P&D)

No. N-15/13/1/17/95-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-6-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"The areas falling within the revenue Villages of Pydipulli and Arepalli in Hanamkonda Mandal and Hasanparthy in Haganparthy Mandal of Warangal Dist".

S. N. TIWARI, Director (P&D)

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION  
CENTRAL OFFICE

New Delhi-110015, the 13th June 1995

No. Conf. 5(10)94/OR/1408.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 and in supersession of the Notification No. Conf. 5(10)87/OR/10086 dated 31-12-90 issued by the Central Provident Fund Commissioner, published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 19th January, 1991, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees Provident Fund hereby sets up a Regional Committee of the State of Orissa consisting of the following persons namely :—

CHAIRMAN

1. Secretary,  
Labour and Employment Department,  
Government of Orissa,  
Bhubaneswar.

(Appointed by the Chairman of the Central Board)

MEMBERS

2. Labour Commissioner,  
Government of Orissa,  
Bhubaneswar.

(Two officials appointed by the Chairman of the Central Board on the recommendations of the State Government.)

3. Chief Inspector of Factories and Boilers,  
Orissa,  
Bhubaneswar.

(Two officials appointed by the Chairman of the Central Board on the recommendations of the State Government.)

EMPLOYERS' REPRESENTATIVES

4. Shri G. S. P. Sinha,  
President,  
Utkal Chamber of Commerce and Industry,  
Cuttack.

(Three representatives of employers appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employers' in the State.)

5. Shri V. D. Bajaj,  
Vice President (Works),  
M/s. J. K. Paper Mills,  
Jaykaypur, Raygada.

(Three representatives of employers appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employers' in the State.)

6. Shri S. B. Mishra,  
Plot No. 704, Sahid Nagar,  
Bhubaneswar-751007.

(Three representatives of employers appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employers' in the State.)

EMPLOYEES' REPRESENTATIVES

7. Shri Ram Chander Khuntia,  
President, INTUC,  
Orissa Branch, Bhubaneswar,  
At/PO Jajpur Road, Jaipur

(Three representatives of employees appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employees' in the State.)

8. Shri Jogendra Tripathy,  
Advocate,  
Secretary, H.M.S.,  
At/PO Dhenkanal, Orissa.

(Three representatives of Employees appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employees' in the State.)

9. Shri Sambhunath Nayak,  
U.T.U.C. (LS),  
3R M.L.A. Colony,  
Bhubaneswar.

(Three representatives of employees appointed by the Chairman of the Central Board in consultation with the Organisations of Employees in the State.)

10. Regional Provident Fund Commissioner in-charge of the Region shall be the Secretary to the Regional Committee.

H. W. T. SYIEM  
Central Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th July 1995

No. V.26017/5/90-AE.—In exercise of the powers conferred by clause (i) (j) & (k) of Section 36 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendment in the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) Regulations, 1979, namely :—

1. These regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) Amendment Regulations, 1994.

2. They shall come into force from the 1st day of July, 1994, in the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) Regulations, 1979, for Appendix-1, the following Appendix shall be substituted, namely :—

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE  
NEW DELHI

MINIMUM STANDARDS AND CURRICULUM FOR  
POST GRADUATE COURSE IN AYURVEDA

1. AIMS AND OBJECTS :

The aim of the Post-graduate degree course shall be the orientation in specialities and super specialities and to produce experts and specialities who can be competent and efficient teachers, clinicians, surgeons, pharmaceuticals, research workers and profound scholars in the respective field of specialisation of Ayurveda.

2. SPECIALITIES IN WHICH POST-GRADUATE DEGREES CAN BE CONDUCTED

1. Ayurveda Siddhanta and Darshana
2. Samhitas (a) Charaka Samhita (b) Sushruta Samhita  
(c) Astang Hridaya—Astang Sangraha
3. Rachna Sharir
4. Kriya Sharira (Dosh Dhatu Mala Vigyan)
5. Dravya Guna Vigyan
6. Ras Shastra
7. Bhaishajya Kalpana
8. Prasuti Tantra & Stri Roga
9. Kaumar Bhritya
10. Kayachikitsa
11. Swasthavritta
12. Rog Nidan—Vikriti Vigyan
13. Manovigyana
14. Shalaya Tantra
15. Shalakya Tantra
16. Panch Karma

3. The nomenclature of Post-graduate Degree in respective specialities shall be as follows :—

1. Ayurveda Vachaspati MD (Ayurved Sidhanta)
2. Ayurved Vachaspati MD (Samhitas)
3. Ayurved Vachaspati MD (Rachana Sharir)
4. Ayurved Vachaspati MD (Kriya Sharir)
5. Ayurved Vachaspati MD (Dravya Guna)
6. Ayurved Vachaspati MD (Ras Shastra)
7. Ayurved Vachaspati MD (Bhaishajya Kalpana)
8. Ayurved Vachaspati MD (Kaumar Bhritya)
9. Ayurved Vachaspati MS (Prasuti Tantra & Stri Roga)
10. Ayurved Vachaspati MD (Swastha Vritta)
11. Ayurved Vachaspati MD (Kayachikitsa)
12. Ayurved Vachaspati MD (Rog Nidan)
13. Ayurved Vachaspati MS (Shalaya Tantra)
14. Ayurved Vachaspati MS (Shalakya Tantra)
15. Ayurved Vachaspati MD (Mano Vigyan)
16. Ayurved Vachaspati MD (Panchkarma)

#### 4. ADMISSION

##### ELIGIBILITY

1. The degree in Ayurveda of a University/Statutory Body included in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970.

2. Only those who have passed all the examinations at degree level in first attempt shall be eligible for admission

##### MODE OF ADMISSION

2. (1) There shall be an admission committee consisting of following :

(i) Dean

Chairman

(ii) One Principal of upgraded PG College or Centre by rotation if more than one in the Faculty.

Member

(iii) Two Senior Heads of PG department by rotation.

Member

(iv) One expert of the subject concerned nominated by the University.

Member

(2) The selection shall be made strictly on the basis of merit based on the performance in the qualifying examination.

or

The selection shall be made strictly on the basis of one common final merit index based on written test and interview on the basis of the following index :—

(a) Written Test Index (to be calculated out of 90 marks)

(b) Interview Index (to be calculated out of 10 marks)  
Final Index 100 marks)

(3) The candidate shall not be allowed to change their subject option in any case. The subject allotted strictly based on merit shall not be changed in any case and it shall be declared at the time of admission.

(4) The minimum marks in the final index for eligibility for admission shall be 50% (40% in the case of reserved categories).

(5) The sponsored/deputed candidate will be required to possess the qualification essential for admission and he will also be required to complete amongst themselves and secure minimum qualifying index.

(6) The written test shall consist of one common written paper comprising of objective type of question covering all the subjects of Ayurveda. The details of which shall be decided by the Selection Committee constituted for the purpose or laid down in the rules of the prospectus of studies.

(7) The number of the candidates to be called for interview (on the basis of the marks obtained in the written test) shall not exceed three times the number of seats advertised. The same rule will apply to SC/ST quota also.

(8) The name of the candidates for interview will be intimated to the interview committee without indicating the marks obtained in the written test.

##### PERIOD OF STUDY AND ATTENDANCE

(1) The candidates have to undergo a period of study for three years after admission, out of which one year shall be devoted to Preliminary course and next two years devoted to Speciality Course.

(2) The students will be required to attend atleast 75% of total lectures, practicals and clinicals separately to become eligible to appear in the examination

(3) The students will be required to attend the hospital and other duties as may be allotted to them during the course of study. All the students will be required to do House Job duties and clinical Registrar's duties in their respective departments during preliminary and final courses respectively.

(4) The students will also be required to attend special lectures, demonstrations Seminars, Study tours and such other activities which may be arranged by the teaching departments.

(5) No relaxation in period of study shall be given to a candidate who have already obtained Post-graduate degree in one speciality and thereafter, desires to undergo Post-graduate course in other speciality.

(6) The teachers having a three years teaching experience can be allowed to undertake Post-graduate training as regular candidate. No relaxation in the duration of study will be made to inservice Physician/teachers.

##### METHOD OF TRAINING

(1) Intensive training will be given in classical knowledge alongwith comparative and critical study in the respective speciality.

(2) The emphasis should be given on in-service training and not in didactic lectures.

(3) The candidates are required to know about the method and technique of research work done in the respective fields

(4) The training requires in such a pattern so as to be given graded responsibility in management and treatment of patients entrusted to his care and to deal emergencies.

(5) The candidate should be required to participate in the teaching and training programmes of Under-graduate students or interns in their subjects.

(6) In the first year period the emphasis should be given to give adequate knowledge in the applied aspects of the fundamental of all the subjects of Ayurveda and adequate training in the basic science of medicine in all its applied and comparative aspects relevant to the speciality concerned with special reference to the fundamentals of Ayurveda.

(7) The Clinical training should aim to extend the knowledge of the candidate to undertake independent work as a specialist.

(8) In the specialities of Shalya, Shalakya and Prasuti Tantra, the practical training should aim in eliciting knowledge on investigative procedures, techniques and surgical performance so that the candidate may be capable to undertake independent work in surgical procedures and their management in the respective speciality.

(9) The thorough and intensive training on a planned programme should be given to the students during all stages of the course and such programme should be available for the inspection and scrutiny of the Central Council of Indian Medicine.

(10) Adequate training in teaching technology and research methods should be undertaken during the course of studies.

#### THESIS

(1) Before a candidate is allowed to undertake the work of thesis, the title of the thesis should be registered with the University within the six months of admission and the synopsis should be approved at the end of preliminary year.

(2) The application of registration of the title of the thesis should clearly mention the full title of the thesis with a synopsis of the proposed scheme of work indicating the familiarity of the candidate with the proposed theme of work and the name of the department and the name and designation of the guide/supervisor and co-guide.

(3) Once the title for thesis is approved, the candidate will not be allowed to change the title or the proposed theme of work.

(4) The registration of the candidate will be cancelled if the candidate fails to submit the title of thesis alongwith synopsis within the specified period as mentioned above.

(5) No candidate shall be allowed to submit the thesis before the expiry of one calendar year registration of the title of the thesis and before six months of the final year.

The subject of the thesis must be related with the subject matter of the speciality offered by the candidate

(6) The thesis should place on record the methods and potentiality of the research carried out by the candidate on the problem selected by him and completed under the guidance of the teacher approved by the University.

(7) The thesis should consist of critical survey of relevant literature, research, results of the research discussion on the basis of existing literature on the subject, conclusion, summary of thesis and references cited in the thesis.

(8) There will a Scrutiny Committee constituted as per rules laid down by the University or in the ordinance which will scrutinise and approve the title of the thesis and proposed scheme of work submitted as per rules. The subject of every thesis should be practical oriented, devoid of unpromising specialities and should be helpful in the development of service of Ayurveda.

(9) The thesis ordinarily consist of exceeding 200 typed pages. The thesis should contain at the end a summary of not more than 1500 words covering the conclusion drawn by the candidates.

(10) The guide/supervision shall be a person of status of a Professor/Reader possessing at least five years Post-graduate teaching experience in the subject. A Professor and a Reader can guide in maximum three and two students respectively in each academic year. A lecturer with seven years Post-graduate teaching experience can guide one candidate in each academic year.

(11) The thesis must be satisfactory as regards literary presentation and suitable for publication either as such as in an abridged form.

(12) Four copies of the bound thesis together with one certificate or certificate from the supervisors or supervisor must reach the office of the Registrar three months before the final examination.

(13) The thesis shall be assessed by four examiners appointed by the University, two of them will be external and two internal. One of the internal examiners of the thesis should be the Chief Supervisor under whom the candidate has worked for the thesis.

(14) The thesis shall only be accepted after unanimous approval by the examiner appointed to examine it.

(15) If the thesis is not accepted it will be referred back to the candidate with the remarks of the examiners and the candidate can resubmit the thesis, after making necessary improvements in the light of the examiners' report to the University but not beyond a further period of six months.

(16) The candidate shall be permitted to appear at II examination post-graduate degree in Ayurved consisting of theory, oral and practicals including clinical only after the thesis has been approved by the examiners appointed for the purpose.

(17) One copy of the Synopsis of the title of thesis shall be submitted to the Registrar, Central Council of Indian Medicine as soon as the title is approved. One copy of the accepted thesis will be lodged in the library of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi.

#### EXAMINATION AND ASSESSMENT

The Post-graduate degree shall have two examinations as follows :-

1. The preliminary examination, at the end of one academic year after admission conducted by the Institution.
2. The final Examination at the end of two academic years, after the First examination.
3. The Final examination will be held after completing two calendar years after passing preliminary examination and the candidates can avail of a maximum of two chances. The Final examination will be held twice at interval of six months.
4. No marks will be allotted in any part of the examinations. Results will be announced as passed or failed after the consideration of the results committee consisting of all the Examiners concerned in unanimously.
5. Examination will ordinarily be held in the month of May-June and October-November every year.
6. For being declared successful in the examination, the candidate shall have to pass all the subjects separately.
7. A candidate need not appear in the subsequent chances in subject or subjects if he has already been declared successful.
8. If a candidate fails in one subject only, he shall have to pass in the subject before he is allowed to appear in the Final Examination.
9. If the candidate fails in the theory and practical of Final examination, the candidate can appear at the subsequent examination without requiring to submit a fresh thesis.
10. The Post-graduate degree shall be conferred on the candidate after the acceptance of the thesis and after the candidate has passed the final examination in the speciality by the candidate.

#### ASSESSMENT

11. (a) The examination should be aimed to test the candidate's clinical acumen and his ability and working knowledge in the practical aspect of the speciality and his fitness to work independently as a specialist. (b) The clinical examination should aim at a careful and searching assessment of the competence of the candidate. His familiarity with Ayurvedic and scientific literature in the speciality



should be judged. (c) The viva-voce part of the examination should be extensive and involve the discussion on any aspect of the speciality.

#### SUBJECTS

(A) *Preliminary Examination*—The Preliminary Examination at the end of one academic year after admission shall be in the following subjects :

1. Medical Statistics and Research Methodology.
2. Fundamentals of Non-clinical subjects of Ayurveda with an emphasis on Applied aspects alongwith relevant studies of fundamentals of basic Sciences of Medicine.
3. Fundamentals of Clinical subjects of Ayurveda, with emphasis on applied aspects alongwith relevant studies of Fundamentals of basic Sciences of medicines
4. The candidate shall have to go the training in the department concerned for the speciality opted by the candidate as under :—

- (a) Regular clinical training in the Hospital.
- (b) Practical training of research work carried out in the department.
- (c) Study of literature related to speciality.
- (d) Active participation in various Seminars, Symposiums and Discussions.
- (e) Finalisation of Topic of thesis and synopsis thereof. The assessment of the work done during the first year on the above points shall be done at the time of Preliminary examination.

(B) *Final Examination*—The Final Examination shall consist of (i) Thesis (ii) Written papers (iii) Clinical, Oral and Practical examination as the case may be.

There shall be four theory papers in each speciality and one practical/clinical and viva-voce in any one of the speciality or group of the speciality selected by the candidate for special study.

#### SCHEME OF EXAMINATION

The scheme of the preliminary examination and final examination followed by practical/clinical/oral examination shall be as detailed below :—

#### CRITERIA OF EXAMINERS

1. The examination shall not be appointed for a period of more than three years at a time. He may be reappointed after an interval of two years.
2. The examiner must have a teaching experience of Post-graduate classes in the subject. Five years PG teaching experience for Professor and Reader and seven years PG teaching experience for Lecturer is essential.

#### MEDIUM OF INSTRUCTIONS

Medium of instruction shall be Hindi, English or Sanskrit. Preference should be given to Sanskrit.

#### MINIMUM REQUIREMENT FOR POST-GRADUATE DEGREE TEACHING CENTRE

1. The Centre must satisfy the minimum requirements for Under-graduate training as prescribed by the Central Council of Indian Medicine and in addition must fulfil additional requirements of Post-graduate training depending on the type of work covered out in the department.

2. Facilities regarding training in Basic Sciences of Ayurveda and Medicine related to the subjects of training as recommended by the Central Council of Indian Medicine should be provided.

3. All the facilities of ancillary department should be available for co-ordination of training.

4. The institution should have adequate equipments and research facilities in the related speciality and subject.

5. The institution should have adequate equipments and research facilities in the related speciality and subject.

6. The institution must have a fully equipped hospital consisting of at least 150 beds with adequate facilities in specialities. However, there should be 10 beds per student in the clinical subjects.

#### FACILITIES FOR POST GRADUATE STUDENTS

The stipend and contingency should be provided at the rates prevailing in the State for other medical Post-graduate students. The Council shall regard it an essential facility which should invariably be provided to Post-graduate students in the subjects of Ayurveda.

#### STUDENT TEACHER RATIO

The student teacher ratio should be such that the number of Post-graduate teachers to the number of Post-graduate students admitted per year be maintained at 1:1. Where the number of Post-graduate teachers is less than 3 per unit, then the number of students should be reduced so as to keep the ratio to one student per teacher per year. It shall be applicable also where the posts are lying vacant and the number of students admitted shall not exceed to the above mentioned yardstick.

The extra staff required for conducting Post-graduate course in addition to the prescribed under the minimum Standards & Requirements laid down for Under-graduate course shall be as follows (Department wise) :—

Name of Department	Professor	Reader	Lecturer
1. Ayurved Sidhanta & Darshan	1	2	4
2. Samhitas	1	3	3
3. Raohana Sharir	1	2	4
4. Kriya Sharir	1	2	4
5. Dravya Guna Vigyan	1	2	4
6. Ras Shastra	1	2	4
7. Bhaishajya Kalpana	1	2	4
8. Prasuti Tantra & Stri Roga	1	2	4
9. Kaumar Bhritya	1	2	4
10. Kayachikitsa	1	3	4
11. Swasthavritta	1	2	4
12. Rog Nidan, Vikriti Vigyan	1	2	4
13. Manovigyan	1	2	4
14. Shalya Tantra	1	2	4
15. Shalaky Tantra	1	2	4
16. Panchkarma	1	2	4

Note : 1. The teacher involved in Post-graduate teaching shall necessarily be recognised by the University as Post-graduate teachers in specific subject.

2. Wherever necessary the help of experts belonging to other disciplines may be taken.

3. In clinical department one Registrar should be appointed for twenty indoor beds.

#### QUALIFICATIONS FOR POST-GRADUATE TEACHERS

1. The person should possess Post-graduate degree in the subject.

2. For the post of Professor, the teaching experience in the subject in Post-graduate degree course of seven years shall be required.

3. For the post of Reader, the teaching experience in Post-graduate course in the subject for five years as Lecturer shall be essential.

4. For the post of Lecturer, the person should possess the Post-graduate degree in the subject alongwith three years teaching experience in the subject in a recognised Under-graduate institution of a University.

#### CRITERIA FOR RECOGNITION

The post-graduate courses in any department in any institution can not be started by any University or body without having prior permission of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. The following criteria is to be fulfilled prior to getting recognition by the CCIIM.

1. A Post-graduate course shall be started in a place where Under-graduate course already exists.

2. The institution must satisfy the minimum requirements for Under-graduate training as prescribed by CCIIM.

3. Facilities regarding clinical training, research facilities, teaching staff and equipments etc. as laid down by CCIIM for the related specialities.

4. The hostel facility to all the Post-graduate boys and girls students.

5. The qualification laid down for teaching staff is to be essentially fulfilled.

6. Facilities of stipend and contingency fund must be the same as admissible to the Post-graduate students of medical PGs of the State.

7. Modifications and additions cannot be made in the Syllabus, pattern of examination, and on other matter laid down by CCIIM in the Curriculum & Syllabus.

RAJ KUMAR JAIN

Secy.

Central Council of Indian Medicine

New Delhi

PUNJAB WAKF BOARD

Ambala Cantt, the 15th July 1995

No. Wakf/45/Gen/Pub/Gazette/498/95—In exercise of the powers conferred under Section 27 of the Wakf Act, 1994 which are exercisable by me under the delegated powers by the Administrator, Punjab Wakf Board, under Section 22 of the Wakf Act, 1954 Properties are hereby declared as Sunni Wakf.

S. No.	Name of Wakf	Distt./Tehsil	Village	Kh. No.	Area	Value	Nature and object of Wakf.	How the Wakf is administered.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Takia	Amritsar/Ajnala	Dala HB. No. 184	28	K—M		Religious		Sunni-wakf PWB Ambala Cantt.
				4	7—12				
				7	7—4				
				8	7—12				
				13	7—12				
				14	8—0	1,10,000			
					38—0				
2.	Khanqah Malang-Shah	Do.	Do.	28					
				9	8—0				
				12	8—0				
				19	7—7				
				20	7—7				
				29					
				16	6—19				
				17	6—12				
3.	Grave-Yard	Jullundur/Jullundur	Chuharwali	64	44.5	1,25,000	Do.	Do.	Do.
			H.B. No. 167		32.4	1,61,000	Do.	Do.	Do.
4.	Do.	Amritsar/Ajnala	Boregill	73	4.6				
			H.B. No. 247	75/1	1.9	50,000	Do.	Do.	Do.
					5.15				
5.	Do.	Do.	Thoba	109	12—16	1,00,000	Do.	Do.	Do.
			HB. No. 98		B—B				
6.	Do.	Mehindergarh/ Narnaul.	Narnaul	2900	3—16	3,00,000	Do.	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Grave-Yard	Solan/Solan	Basal	2110/2003 Old (851 Min New)	B—B 0—17 (765 Sq. Yds.)	5,00,000	Religious	PWB Ambala Cantt.	Sunni-wakf
8.	Mosque-Cum- Madarsa. Islamia-School	Una/Bangana	Gharwasra	589 Min	K M 1—0 (384 Sq. Mts)		Do.	Do.	Do
9.	Grave-Yard	Jullundur/ Jullundur.	Bambian Wali. HB. No. 235	54	K M 3—12	14,000	Do.	Do.	Do
10.	Mosque	Do.	Do.	1 61	0—18	18,000	Do.	Do.	Do
11.	Grave-Yard	Do.	Nauli HB. No. 180	59	0—7	45,000	Do.	Do.	Do.
12.	Takia	Do.	Do.	42					
				8/1 9/3 12/2	4—0 0—16 3—4 8—0	1,00,000	Do.	Do.	Do.
13.	Grave-Yard	Amritsar/ Baba-Bakala	Rajpur Butala HB. No. 91	170 171	2—6 10—16 13—2	75,000	Do.	Do	Do

NOTE : Serial No. 1—12 are Takia according to Jamabandies, 1966-67, 1991-92. Serial No 2 is a Khanqah according to Jamabandi, 1966-67, Serial No. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, are Grave-Yard according to Jamabandies 1958-59, 1989-90, 1988-89, 1969-70, 1960-61, 1984-85, 1991-92, 1988-89, and Serial No. 8 and 10 are Mosque according to Jamabandies 1990-91, 1984-85 respectively. These have been entered in the Kitab-ul-Aukaf and Registered as Wakf properties under Section 26 of the Wakf Act 1954.

Sd/- ILLEGIBLE  
Secretary,  
Punjab Wakf Board  
Ambala Cantt.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995  
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and  
Published by the Controller of Publications, Delhi, 1995